रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-73

REGISTERED No. D.(DN)-73

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं० 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 9, 1982/पौष 19, 1903

No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 9, 1981/PAUSA 19, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

**Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation**

## भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
## PART II—Section 3—Sub-section (i)

**(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं**

**General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)**

### विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय
### (विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1981

सा० का० नि० 26.—दरगाह समिति अजमेर द्वारा दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम, 1955 (1955 का 36) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दरगाह ख्वाजा साहब उप-विधि, 1958 में किए गए निम्नलिखित संशोधनों को केन्द्रीय सरकार द्वारा उनका अनुमोदन और पुष्टि हो जाने पर, उक्त नियम के उप-नियम (3) की अपेक्षानुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन उप-विधियों का संक्षिप्त नाम दरगाह ख्वाजा साहब (संशोधन) उप-विधि, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. दरगाह ख्वाजा साहब उप-विधि, 1958 की उप-विधि 27 खंड (ग) के पश्चात् परन्तुक का लोप किया जाएगा।

टिप्पण :—मूल उप-विधियां, भारत के राजपत्र भाग 2 खंड 3 उप खंड (i) तारीख 25 अक्तूबर, 1958 में प्रकाशित हो चुकी हैं, देखिए, अधिसूचना सं० सा० का० नि० 984 तारीख 16 अक्तूबर, 1958 पृष्ठ 968 से 974। पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए :—

(i) भारत के राजपत्र भाग 2 खंड 3 उप खंड (i) तारीख 30 अक्तूबर, 1971 में पृष्ठ 4525 पर प्रकाशित अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1606 तारीख 15 सितम्बर, 1971

(ii) भारत के राजपत्र भाग 2 खंड 3 उपखंड (i) तारीख 18 जनवरी, 1975 में पृष्ठ 87 पर प्रकाशित अधिसूचना सं० सा० का० नि० 60 तारीख 8 जनवरी, 1975।

[फा० सं० 3(5)/68-वक्फ]

असलम महमूद, उप सचिव

### MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS
### (Legislative Department)

New Delhi, the 21st November, 1981

G.S.R. 26.—The following amendments to the Durgah Khawaja Saheb Bye-Laws, 1958, made by the Durgah Committee Ajmer, in exercise of the powers conferred by section 20

of the Durgah Khawaja Saheb Act, 1955 (36 of 1955), are hereby published for general information, the same having been approved and confirmed by the Central Government as required by sub-section (3) of the said section, namely:—

1. (1) These bye-laws may be called the Durgah Khawaja Saheb (Amendment) Bye-Laws, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In bye-law 27 of the Durgah Khawaja Saheb Bye-Laws, 1958, the proviso after clause (c) shall be omitted.

Note :- -Principal Bye-Laws published vide notification No. G.S.R. 914 dated 16th October, 1958, Gazette of India dated 25th October, 1958, Part II, Section 3, Sub-section (i), pages 968 to 974.

Subsequently amended by :—

(i) Notification No. G.S.R. 1606 dated 15th September, 1971, published in the Gazette of India dated 30th October, 1971, Part II, Section 3, Sub-section (i), page 4525, and

(ii) Notification No. G.S.R. 60 dated 8th January, 1975, published in the Gazette of India dated 18th January, 1975, Part II, Section 3, Sub-section (i), page 87.

[F. No. 3(5)/68-Wakf]
ASLAM MAHMUD, Dy. Secy.

## गृह मंत्रालय

### (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1981

सा० का० नि० 27—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) तथा उप-नियम (2) के प्रथम परन्तुक के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार के परामर्श से, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियम का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) पहला संशोधन, विनियम, 1982 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955, की अनुसूची में "हिमाचल प्रदेश" शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"हिमाचल प्रदेश"

| | |
|---|---|
| 1- राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद | 53 |
| सरकार के मुख्य सचिव | 1 |
| वित्त आयुक्त | 1 |
| वित्त आयुक्त (विकास) सहकृषि उत्पादन आयुक्त | 1 |
| प्रमण्डल आयुक्त | 2 |
| आयुक्त तथा सरकार के सचिव | 2 |
| आयुक्त अनुसूचित जाति/जनजाति तथा सरकार के सचिव | 1 |
| सरकार के सचिव/विशेष सचिव | 4 |
| राज्यपाल के सचिव | 1 |
| मुख्य मंत्री के सचिव | 1 |
| सचिव, लोक सेवा आयोग | 1 |
| सरकार के अपर/सयुक्त/उप सचिव | 8 |
| निदेशक, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान | 1 |
| आबकारी तथा कर आयुक्त | 1 |
| सरकारी समितियों के पंजीकार | 1 |
| सिविल पूर्ति के निदेशक | 1 |
| उद्योगों के संयुक्त निदेशक | 1 |
| पंचायती राज के निदेशक | |
| सह ग्रामीण सघटित विकास निदेशक | 1 |
| उद्योगों के निदेशक | 1 |
| श्रम आयुक्त तथा निदेशक रोजगार तथा प्रशिक्षण | 1 |
| परिवहन तथा पर्यटन आयुक्त तथा सरकार के संयुक्त/उप सचिव | 1 |
| सतर्कता निदेशक | 1 |
| कल्याण निदेशक तथा कारागार महा निरीक्षक | 1 |
| बन्दोबस्त अधिकारी | 1 |
| उप आयुक्त | 12 |
| विभागीय जांच आयुक्त | 1 |
| अपर रजिस्ट्रार सहकारी समितियां | 1 |
| अपर उप-आयुक्त | 3 |
| भूमि रिकार्ड निदेशक | 1 |
| | 53 |
| 2- केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 1 के 40 प्रतिशत के हिसाब से | 21 |
| 3- पदोन्नति तथा चयन द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त 1 और 2 के 33-1/3 प्रतिशत के हिसाब से | 24 |
| 4- सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (उपर्युक्त 1 और 2 में से 3 घटाकर) | 50 |
| 5- प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 4 के 22.5 प्रतिशत के हिसाब से | 20* |
| 6- छुट्टी रिजर्व उपर्युक्त 4 के 5.62 प्रतिशत के हिसाब से | 3 |
| 7- कनिष्ठ पद उपर्युक्त 4 के 23.17 प्रतिशत के हिसाब से | 12 |
| 8- प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त 4 के 11.91 प्रतिशत के हिसाब से | 6 |
| सीधी भर्ती वाले पद | 91 |
| पदोन्नति वाले पद | 24 |
| कुल प्राधिकृत संख्या | 115 |

*इनमे 9 अतिरिक्त पद शामिल हैं जिन्हें तदर्थ रूप में बढ़ाने की अनुमति दी गई है।

ध्यान दें :—इसका मुख्य नियम जी० एस० आर० नं० 457-ई दिनांक 22-8-75 द्वारा संशोधन हुआ था।

[सं० 11031/25/81-अ० भा० से०II]
एम० पी० मुरुप, डेस्क अधिकारी

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### (Department of Personnel & Admn. Reforms)

New Delhi, the 24th December, 1981

**G.S.R. 27.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with sub-rule (1), and the first proviso to sub-rule (2) of Rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Himachal Pradesh, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulation, 1955, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) First Amendment Regulations, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, under the head-

ing "Himachal Pradesh" and the entires occurring thereunder, the following shall be substituted, namely :—

| | |
|---|---|
| 1. Senior posts under the State Government | 53 |
| Chief Secretary to the Government | 1 |
| Financial Commissioner | 1 |
| Financial Commissioner (Development)-cum-Agricultural Production Commissioner | 1 |
| Divisional Commissioners | 2 |
| Commissioner and Secretary to Government | 2 |
| Commissioner for Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Secretary to Government | 1 |
| Secretary/Special Secretary to the Government | 4 |
| Secretary to Governor | 1 |
| Secretary to Chief Minister | 1 |
| Secretary, Public Service Commission | 1 |
| Additional/Joint/Deputy Secretary to Government | 8 |
| Director, Himachal Pradesh Institute of Public Administration | 1 |
| Excise and Taxation Commissioner | 1 |
| Registrar of Cooperative Societies | 1 |
| Director of Civil Supplies | 1 |
| Additional Director of Industries | 1 |
| Director of Panchayati Raj-cum-Director of Rural Integrated Development | 1 |
| Director of Industries | 1 |
| Labour Commissioner and Director of Employment and Training | 1 |
| Commissioner of Transport and Tourism-cum-Joint/Deputy Secretary to Government | 1 |
| Director of Vigilance | 1 |
| Director of Welfare and Inspector General of Prisons | 1 |
| Settlement Officer | 1 |
| Deputy Commissioners | 12 |
| Commissioner for Departmental Enquiries | 1 |
| Additional Deputy Commissioner | 3 |
| Additional Registrar of Cooperative Societies | 1 |
| Director of Land Records | 1 |
| | 53 |
| 2. Central Deputation Reserve at 40% of 1 above | 21 |
| 3. Posts to be filled by promotion and selection @ 33.1/3% of 1 and 2 above | 24 |
| 4. Posts to be filled by Direct Recruitment (1 and 2 minus 3 above). | 50 |
| 5. Deputation Reserve @ 22.5% of item 4 above | 20** |
| 6. Leave Reserve @ 5.62% of item 4 above | 3 |
| 7. Junior Posts @ 23.17% of item 4 above | 12 |
| 8. Training Reserve @ 11.91% of item 4 above | 6 |
| Direct Recruitment Posts | 91 |
| Promotion Posts | 24 |
| Total authorised strength : | 115 |

**Including 9 posts allowed as ad-hoc increase.

Note :—The Principal regulations have been amended vide G.S.R. No. 457-E dated 22-8-1975.

[No. 11031/25/81-AIS(II)]

M. P. KURUP, Desk Officer

## केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सीमा शुल्क समाहर्तालय

मदुरै, 9 नवम्बर, 1981

सा० का० नि० 28—30-12-1980 को समाप्त तिमाही के दौरान सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों तथा इनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों का उल्लंघन किए व्यक्ति जिन्हें उक्त अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है तथा जिन पर विभाग द्वारा रु० 10,000/ या इससे अधिक शास्ति अधिरोपित की गई है ।

| क्रम सं० दोषी ठहराये गए व्यक्ति का नाम और पता | उल्लंघित धारा और दी गई सजा आदि का विवरण |
|---|---|
| रामनाथपुरम सीमा शुल्क प्रभाग :— | |
| 1. श्री त्यागराजन, पुत्र मुत्तुइस्लन सेरुवै, 8/530 पेरुमल कोइल पिल्लै स्ट्रीट, परमक्कुडी (ए.1) | सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 135 (1) (बी) (ii) के अन्तर्गत दंडनीय आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 3(ii) का उल्लंघन करने पर, रामनाथपुरम के उपमंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट अपना निर्णयन सीसी० सं० 249/80 ता० 31-10-80 में ए.1 को 3 महीनों की ए.2 को 2 महीनों की तथा ए.3 को 1 महीने की सश्रम कारावास की सजा सुनाई । |
| श्री मीनाक्षी सुन्दरम, पुत्र रत्तिनम पिल्लै, नार्थ स्ट्रीट, देवीपट्टिणम. (ए.2) | |
| श्री कुप्पय्या, पुत्र करुप्पय्या, अनूमक लोप्पु, कन्नामुनै, देवीपट्टनम (ए.3) | समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन एवं सीमा शुल्क, मदुरई ने सरकार के पक्ष में रु० 2,15,500 मूल्यवान 862 कि० ग्रा० लौंग, पूर्ण रूप से जब्त की और ए.1 पर रु० 5000 ए.2 पर रु० 2000 तथा ए.3 पर रु० 1000 की प्रत्यक्ष शास्ति अधिरोपित की । |
| 2. श्री ए० परंजोति, पुत्र अंगुसामी, 47-ए, रेलवे कालोनी, मंडपम, रामनाथपुरम जिला | सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 135 (ए) के अन्तर्गत दंडनीय आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 3 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 11 का उल्लंघन करने पर रामनाथपुरम के उपमंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपना निर्णयन सीसी० सं० 529/80 ता० 20-12-80 में 750 रु० जुर्माना और न्यायालय बरखास्त होने तक, कारावास की सजा सुनाई । |
| | सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन एवं सीमा शुल्क, रामनाथपुरम ने सरकार के पक्ष में रु० 8000 मूल्यवान भारतीय उद्यम 200 बाइल साड़िया पूर्ण रूप से जब्त की और रु० 1000 की प्रत्यक्ष शास्ति अधिरोपित की । |

[सं० 1/81]

आर० जयरामन, समाहर्ता

## Customs and Central Excise Collectorate

Madural, the 9th November, 1981

**G.S.R. 28.**—Particulars of Persons who have contravened the provisions of customs act 1962 and rules made thereunder and who have been convicted by court and persons on whom a penalty of Rs. 10,000 or more was imposed by the Department for the quarter ending 31-12-80.

| Sl. No. | Name and address of Person convicted | Particulars of section contravened and punishment awarded etc. |
|---|---|---|
| | 1 | 2 |
| | RAMANATHAPURAM CUSTOMS DIVISION | |
| 1. | Shri Thangarajan, S/o Muthulrulan Servai, 8/530 Perumal Koil Pillai Street, Paramakudi (A.1) Meenatchi Sundaram, S/o Rathinam Pillai, North Street, Devipattinam (A.2) | For contravention of Section 3(2) of the Imports and Exports (Control) Act 1947, punishable under Section 135(1)(b)(ii) of Customs Act, 1962, the Sub-Division at Judicial Magistrate Ramanathapuram in his Judgement CC.No. 249/80 dated 31-10-80 sentenced to undergo Rigorous Imprisonment for 3 months on A.1, for 2 months on A.2 and for 1 month on A.3. |
| | Kuppian, S/o Karupplah, Abuhakkar thoppu, Kannamunai, Devipattinam (A.3) | The Collector of Central Excise and Customs Madurai has absolutely confiscated 862 Kgs. of Cloves valued Rs. 2,15,500/- to Government and imposed a penalty of Rs. 5000/- on A.1 Rs. 2,000/- on A.2, Rs. 1000/- on A.3. |
| | 1 | 2 |
| 2. | Shri A. Paranjothi, S/o Anugsami, 47-A Railway Colony, Mandampam, Ramanathapuram District | For contravention of Section 11 of Customs Act, 1962 read with section 3 of Imports and Exports (Control) Act 1947 Punishable under section 135(A) of Customs Act, 1962 the Sub-Divisional Judicial Magistrate Ramanathapruam in his Judgement CC. No. 529/80 dated 20-12-80 sentenced to pay a fine of Rs. 750/and imprisonment till the rising of the Court. |
| | | The Assistant Collector of Central Excise Ramanathapuram has absolutely confiscated 200 Numbers of voil sarees of Indian origin valued Rs. 8000/- to Government and imposed a penalty of Rs. 1000/-. |

[No. 1/81]

R. JAYARAMAN, Collector

## योजना मंत्रालय

### (सांख्यिकी विभाग)

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 1981

**सा० का० नि०** 29.—राष्ट्रपति संविधान की धारा 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संगणक केन्द्र भर्ती नियमावली, 1972 (श्रेणी I और श्रेणी II पद) का जहां तक कार्यक्रम सहायक/कंसोल प्रचालक का संबंध है, केवल उन बातों को छोड़कर जो हो चुकी हैं या होने से छूट गयी हैं का, अधिक्रमण करते हुए भर्ती पद्धति के विनियमन हेतु कार्यक्रम सहायक, कंसोल आपरेटर, संगणक केन्द्र, सांख्यिकी विभाग, नई दिल्ली नामक पद के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:—

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ: (i) ये नियम संगणक केन्द्र, सांख्यिकी विभाग, नई दिल्ली, कार्यक्रम सहायक/कंसोल प्रचालक भर्ती नियमावली 1981 कहलायेंगे।

(ii) ये नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान: उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के 2 से लेकर 4 तक के कालमों में दिए गए हैं।

3 भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि: उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हतायें और उनसे संबंद्ध अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के 5 से लेकर 14 तक के कालमों में विनिर्दिष्ट हैं।

4. अनर्हताएं: (क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता है या विवाह की संविदा करता है जिसका पति/पत्नी जीवित हो अथवा

(ख) को व्यक्ति जो कि पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता है/करती है अथवा विवाह की संविदा करता है/करती है सेवा से नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाय कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अन्तर्गत इस प्रकार का विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के लिए कुछ अन्य कारण भी हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकती है।

5. छूट देने की शक्ति:

जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में इन नियमों के उपबंधों में से किसी को भी शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति

इन नियमों से कोई भी नियम, इस बारे में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रदान किए जाने वाले आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगा।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | प्रवरण पद अथवा अप्रवरण पद | सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा | के० सि० सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा के जोड़े हुए वर्षों का लाभ अनुज्ञेय है | सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| कार्यक्रम सहायक कंसोल प्रचालक | 19<br><br>पदों का घटना-बढ़ना कार्यभार पर निर्भर करता है। | सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'ख' अराजपत्रित | 550-25-700-द० रो०-30-900 रु० | प्रवरण | 30 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय)<br>टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारण करने की निर्णायक तिथि भारत के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों को छोड़कर) | नहीं | अनिवार्य :<br>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी गणित/परिचालन अनुसंधान । भौतिकी अथवा अर्थशास्त्र/वाणिज्य (सांख्यिकी विषय सहित) में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा इंजीनियरिंग संगणक विज्ञान में डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता।<br>(ii) संगणक प्रोग्रामिंग/संकार्य के एक वर्ष के अनुभव सहित इलैक्ट्रानिक समंक विधायन कार्य का 2 वर्ष का अनुभव ।<br>वांछनीय :<br>(i) संगणक प्रोग्रेमिंग/परिचालन विशेषरूप से बुरो 3845 संगणक प्रणाली में औपचारिक प्रशिक्षण।<br>(ii) एक या अधिक प्रोग्रेमिंग भाषाओं की जानकारी<br>टिप्पणी : (i) सर्व प्रकार से योग्य अभ्यर्थी के मामले में अर्हताओं में छूट देना सं० लो० से० आयोग के विवेक पर निर्भर करता है।<br>(iii) चयन की किसी अवस्था में सं० लो० से० आयोग को यदि ऐसा आभास मिलता है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिए उन वर्गों के अपेक्षित अनुभव वाले पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों के मिलने की संभावना नहीं है तो सं० लो० से० आयोग के विवेक से अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों के बारे में अनुभव संबंधी अर्हताओं में छूट दी जा सकती है । |

| क्या सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में भी लागू होंगी ? | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो | क्या भर्ती पद्धति सीधी भर्ती से या पदोन्नति से अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण से तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती की जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा की गयी भर्ती के मामले में पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण वाले ग्रेड दिए जाने हैं | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन क्या है | किन परिस्थितियों में भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श लेना होगा |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| आयु : नहीं, अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं : हां | 2 वर्ष | (i) 25% पदोन्नति द्वारा यदि ऐसा संभव न होता तो प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा।<br>(ii) 75% सीधी भर्ती द्वारा ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा। | पदोन्नति :<br>कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक जिसकी नियमित आधार पर नियुक्ति होने के पश्चात निर्धारित ग्रेड में कार्य करते हुए पांच वर्ष हो गये हों।<br>प्रतिनियुक्ति के आधार पर अंतरण केन्द्रीय सरकार में समान पद पर कार्य करने वाले कर्मचारी या जिन कर्मचारियों ने 425-700 रु० के वेतनमान में पांच वर्ष सेवा की हो अथवा उसके समकक्ष और स्तम्भ 8 के अंतर्गत भर्ती नियमों के लिए निर्धारित अनुभव हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)। | विभागीय पदोन्नति समिति में निम्नलिखित अधिकारी होंगे :<br>(i) निदेशक संगणक केन्द्र—अध्यक्ष<br>(ii) अपर निदेशक, संगणक केन्द्र—सदस्य<br>(iii) संयुक्त निदेशक संगणक केन्द्र—सदस्य<br>(iv) अनु जा०/अनु० ज० जाति का एक उपयुक्त अधिकारी—सदस्य | सीधी भर्ती के समय सं० लो० से० आयोग का परामर्श अनिवार्य है।<br>टिप्पणी : स्थायीकरण के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाहियों सं० लोक सेवा आयोग के अनुमोदन के लिए भेजी जायेंगी यदि इन कार्यवाहियों का आयोग अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक पुनः बुलायी जायेगी जिसकी अध्यक्षता में सं० लो० सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य करेंगे। |

[सं० ए-12018/2/81-स्था I सं० कें०]

एस० बलरामन, उप-सचिव

## MINISTRY OF PLANNING

**(Department of Statistics)**

New Delhi, the 16th December, 1981

**G.S.R. 29.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in super session of the Computer Centre (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1972, in so far as they relate to the post of Programme Assistant|Console Operator, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment, to the post of Programme Assistant|Console Operator in the Computer Centre, Department of Statistics, New Delhi, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Computor Centre, Department of Statistics, New Delhi, Programme Assistant|Console Operator Recruitment Rules, 1981 ;

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification :

No person —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax .—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of post | No. of Posts | Classification | Scale of pay | Whether selection post or non-Selection post | Age limit for direct recruits | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972 | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Programme Assistant/Console Operator | 19* (1981) *subject to variation dependent on work load | General Central Service Group 'B' Non-Gazetted | Rs. 550-25-700-EB-30-900 | Selection | Not exceeding 30 years (Relaxable upto 5 years for Government servants). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman & Nicobar Islands & Lakshadweep). | No | Essential : (i) Master's Degree in Statistics/Mathematics/Operations Research/Physics or Economics/Commerce (with Statistics) or Degree in Engineering/Computer Science of a recognised University or equivalent. (ii) 2 years' experience of electronic data processing work including one year experience of compute programming/operation. Desirable : (i) Formal training in computer programming/operation preferably Burroughs 3845 Computer System. (ii) Knowledge of one or more of the programming languages. Note 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates other wise well qualified. Note 2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promtion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion, deputation or transfer, grades from which promotion, deputation or transfer to be made | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Age : No<br>E.Q. : Yes | 2 years | (i) 25% by promotion; failing which by transfer on deputation.<br>(ii) 75% by direct recruitment, failing which by transfer on deputation. | Promotion<br>Junior Programme Assistant with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.<br>Transfer on deputation :<br>Officers under the Central Government holding analogous posts or with 5 years' service in posts in the scale of Rs. 425-700 or equivalent and possessing the qualifications prescribed and experience laid down for direct recruits under col. 8.<br>(Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years). | DPC consisting of :—<br>(i) Director, Computer Centre—Chairman<br>(ii) Additional Director Computer Centre—Member<br>(iii) Joint Director, Computer Centre—Member<br>(iv) An officer of appropriate status belonging to SC/ST—Member | Consultation with the UPSC necessary while making direct recruitment.<br>Note : The proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held. |

[No. A.12018/2/81. E. I.] (CC)]
S. BALARAMAN, Dy. Secy.

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1981

**सा० का० नि० 30.**— केन्द्रीय सरकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा केन्द्रीय खाद्यमानक समिति से परामर्श करने के पश्चात् खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करना चाहती है । उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार प्रस्तावित संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है । इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के पश्चात् विचार किया जाएगा ।

इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी ।

### नियमों का प्रारूप

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 1981 है ।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में,—

(क) नियम 61-ख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"61-ग फल उत्पादों में पायसीकरण और स्थायीकारी कारकों का उपयोग जोड़ा जा सकेगा :—

फल उत्पाद में निम्नलिखित पायसीकरण और स्थायीकारी कारक जोड़े जा सकेंगे :—

पैक्टिन, सोडियम एल्गीनेट, कैल्सियम एल्गीनेट, ऐल्जिनिक अम्ल, और प्रोपिलीन ग्लाइकोल एल्गीनेट" ।

(ख) उक्त नियम के परिशिष्ट ख की मद सं० क.16.01, क.16.02, क.16.03, क.16.04, क.1605, क.16.06, क.16.07, क.16.09, क.16.11, क.16.12 के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"इसमें नियम 61-ग में विहित किए गए अनुज्ञात पायसीकरण और स्थायीकारी कारक भी हो सकेंगे" ।

[सं० पी० 15019/2/80-पी० एच० (एफ एन्ड एन) (पी एफ ए)]

जी० पंचापकेशन, अवर सचिव

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

### (Department of Health)

New Delhi, the 23rd December, 1981

**G.S.R. 30.**—The following draft rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, which Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954) after consultation with the Central Committee for Food Standards, is hereby published as required by the said sub-section for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after ninety days from the date on which the said notification is published in Official Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

### DRAFT RULES

1. These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Amendment) Rules, 1981.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 (hereinafter referred to as said rules),—

(i) After rule 61-B, the following rule shall be inserted, namely :—

"61-C Use of emulsifying and stabilising agents may be added to fruit products.

The following emusifying and stabilising agents may be added to fruit product :

Pectin, sodium alginate, calcium alginate, elginic acid and propylene glycol alginate".

(ii) In appendix B to the said rules, in item No. A.16.01 A.16.02, A.16.03, A.16.04, A.16.05, A.16.06, A.16.07, A.16.09, A.16.11, A.16.12, the following shall be added at the end, namely:—

"It may also contain permitted emulsifying and establising agents as prescribed in rule 61-C".

[No. P 15019/2/80-PH(F&N)PFA]
G. PANCHAPAKESAN, Under Secy.

## इस्पात और खान मंत्रालय

### (खान विभाग)

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1981

**सा० का० नि० 31.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय खान ब्यूरो (श्रेणी-I और II पद) भर्ती नियम, 1964 में और संशोधन करने हेतु एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् —

1. (1) इन नियमों को भारतीय खान ब्यूरो (श्रेणी-I और II पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियम, 1981 कहा जाएगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू माने जाएंगे ।

2. भारतीय खान ब्यूरो (श्रेणी-I और II पद) भर्ती नियम, 1964 में,—

(i) 'श्रेणी I' और 'श्रेणी II' शब्द जहां भी आए है, उनके लिए क्रमशः 'ग्रुप क' और 'ग्रुप ख' प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(ii) अनुसूची में—

सहायक खनिज अर्थशास्त्री (आसूचना) के पद से संबंधित क्रम सं० 32 के सामने कालम 8 के नीचे की प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"नही"

[फाइल सं० ए-44018/121/79-खान-6]
ए० के० वेंकट सुब्रह्मण्यन, निदेशक

## MINISTRY OF STEEL & MINES

### (Department of Mines)

New Delhi, the 23rd December, 1981

**G.S.R. 31.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Bureau of Mines (Class, I and II posts) Recruitment Rules,* 1964, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Bureau of Mines (Class I and II posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Bureau of Mines (Class I and II posts) Recruitment Rules, 1964—

(i) for the expressions 'class I' and 'class II' wherever they occur, the expressions 'Group A' and 'Group B' shall respectively be substituted;

(ii) in the Schedule—

against serial number 32 relating to the post of Assistant Mineral Economist (Intelligence), for the entry under column 8, the following entry shall be substituted, namely —

'No'

[F. No. A-44018/121/79-MVI]
A. K. VENKATA SUBRAMANIAN, Director.

*(i) Notified as G.S.R. No. 565, dated the 25th March 1964.

(ii) Amended by Notification No. G.S.R. 649, dated the 21st April 1979 published in the Gazette of India, Part-II Section-3(i).

## ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1981

**सा० का० नि० 32.**—केन्द्रीय सरकार, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कपास यीज श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1981 बनाना चाहती है। जैसा कि उक्त धारा में अपेक्षित है। प्रस्तावित नियम का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि से पूर्व उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

**प्रारूप नियम**

1 संक्षिप्त नाम और लागू होना--इन नियमों का संक्षिप्त नाम कपास बीज श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम 1981 है।

(2) ये भारत में उत्पादित कपास बीजों को लागू होंगे।

2 परिभाषाएं--इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(1) "कृषि विपणन सलाहकार, से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है

(2) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न कोई अनुसूची अभिप्रेत है,

(3) "प्राधिकृत पैकर" से ऐसा व्यक्ति या व्यक्ति निकाय अभिप्रेत है जिसे कृषि विपणन सलाहकार ने नियमों के अधीन विहित श्रेणी मानकों और प्रक्रिया के अनुसार वस्तु का श्रेणीकृत कराने और एगमार्क चिह्न लगवाने के लिए प्राधिकरण प्रमाणपत्र दिया है,

(4) "प्रमाण पत्र" से प्राधिकरण प्रमाणपत्र अभिप्रेत है।

3 श्रेणी अभिधान--कपास बीजों की क्वालिटी उपदर्शित करने वाला श्रेणी अभिधान वह होगा, जो अनुसूची 1 के स्तम्भ 1 में उपवर्णित है।

4. क्वालिटी की परिभाषा--श्रेणी अभिधानों द्वारा उपदर्शित क्वालिटी वह होगी, जो अनुसूची 1 के स्तम्भ 2 से 8 में प्रत्येक श्रेणी अभिधान के सामने उपदर्शित है।

5 श्रेणी अभिधान चिह्न--श्रेणी अभिधान चिह्न एक ऐसा लेबल होगा जिसमें श्रेणी अभिधान विनिर्दिष्ट होगा और ऐसी डिजाइन बनी होगी जिसमें भारत का रूप रेखा मानचित्र, "एगमार्क" शब्द और "भारतीय उत्पाद" तथा "प्रोड्यूस आफ इंडिया" शब्दों सहित उगते हुए सूर्य का चित्र होगा, जो अनुसूची 2 में उपवर्णित चिह्न के सदृश होगा।

6 चिह्नांकन पद्धति--(1) श्रेणी अभिधान चिह्न कृषि विपणन सलाहकार द्वारा अनुमोदित रीति से, प्रत्येक पैकेज पर मजबूती से चिपकाया जाएगा।

(2) श्रेणी अभिधान के अतिरिक्त लेबल पर निम्नलिखित विशिष्टियां भी स्पष्टतः दी जाएंगी

(क) फसली मौसम

(ख) लाट संख्या

(ग) पैक करने की तारीख

(घ) कोई अन्य विशिष्ट, जो कृषि विपणन सलाहकार समय समय पर विनिर्दिष्ट करे।

(3) प्राधिकृत पैकर, कृषि विपणन सलाहकार से पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात्, आधान पर अपना प्राइवेट व्यापार चिह्न उक्त अधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति से अंकित कर सकेगा, परन्तु यह तब जब कि प्राइवेट व्यापार चिह्न इन नियमों के अनुसार आधार पर चिपकाए गए श्रेणी अभिधान चिह्न इन नियमों के अनुसार आधान पर चिपकाए गए श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा उपदर्शित कपास बीजों की क्वालिटी या श्रेणी से भिन्न क्वालिटी या श्रेणी उपदर्शित न करे।

7 पैक करने की पद्धति--(1) कपास बीज नए की टिवल के थैलों में या किसी अन्य प्रकार के आधान में तथा किसी क्षमता और ऐसी रीति में पैक किया जाएगा, जो कृषि विपणन सलाहकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

(2) पैकिंग सामग्री स्वच्छ और शुष्क होगी, फफूंदी दूषण और कीट ग्रसन तथा विकृत गंध से मुक्त होगी।

(3) प्रत्येक पैकेज में एक ही फसली मौसम के और एक ही श्रेणी अभिधान वाले कपास बीज होंगे।

(4) प्रत्येक पैकेज को कृषि विपणन सलाहकार द्वारा विहित रीति से सुरक्षित रूप से बन्द और सील किया जाएगा।

**अनुसूची 1**

(नियम 3 और 4 देखिए)

कपास बीजों का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी की परिभाषा

| श्रेणी अभिधान | क्वालिटी की परिभाषा | | | | | | साधारण लक्षण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | विजातीय पदार्थ | क्षतिग्रस्त बीज | अपरिपक्व झुर्रीदार तथा खराब बीज | घुने बीज | बिनौला तप्त | नमी | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| I | 1 0 | 1 0 | 2 0 | 0 5 | 4 0 | 10.0 | कपास बीज.-- |
| II | 3 0 | 2 0 | 4 0 | 1 0 | 6 0 | 10 0 | (1) गौसीपियम जाति के पौधे से अभिप्राप्त किए जाएंगे। |
| III | 5.0 | 4 0 | 6 0 | 1 5 | 10 0 | 10 0 | (2) विकसित परिपक्व साफ और शुष्क होंगे। |
| | | | | | | | (3) आकार, आकृति और रंग में युक्तियुक्त रूप से एक समान होंगे। |
| | | | | | | | (4) मैल, विकृत गंध, हानिकर पदार्थों, की फफूंदी और सदूषण से मुक्त होंगे। |

| | |
|---|---|
| (1) विजातीय पदार्थों में | पत्थर, मिट्टी के टुकड़े, कायकृम, भूसा, तने कोई अन्य खाद्य या अखाद्य बीज या कोई अन्य विजातीय सामग्री होगी। |
| (2) क्षतिग्रस्त बीज | ऐसे बीज होंगे जो आन्तरिक रूप से क्षतिग्रस्त या इस प्रकार विवर्णित या टूटे हुए हैं, जिससे तात्विक रूप से क्वालिटी पर प्रभाव पड़ता है। |
| (3) अपरिपक्व, झुर्रीदार और खराब बीज | ऐसे बीज होंगे जो उचित रूप से विकसित नहीं हैं और/या सुकड़े हुए हैं। खराब बीज ऐसे बीज होंगे जो आसानी से, यदि उन्हें दो उंगलियों के बीच दबाया जाए तो दबाए जा सकते हैं। |
| (4) घुने बीज | ऐसे बीज होंगे जिनमें घुन द्वारा आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से छेद कर दिया गया है या खा लिया गया है। |
| (5) बिनौले तन्तु | के अन्तर्गत उत्तन्तु या छोटे तन्तु होंगे। |

अनुसूची II

(नियम 5 देखिए)

श्रेणी अभिधान चिह्न

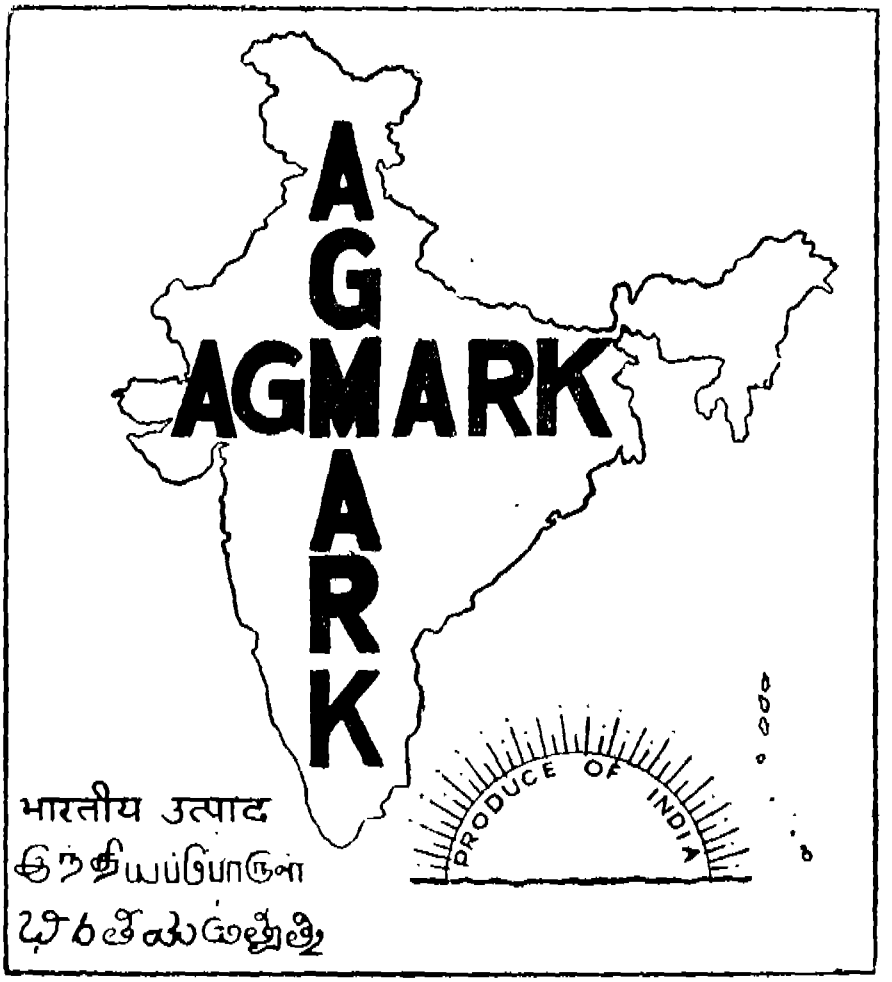




[सं० 11-3/81-ए० एम०]

**MINISTRY OF RURAL RECONSTRUCTION**

New Delhi, the 15th December, 1981

**G.S.R. 32.**—The following draft of the Cotton Seeds Grading and Marking Rules, 1981 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (I of 1937), is published as required by the said Section for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of forty five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period so specified shall be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title and application.—(i) These rules may be called the Cotton Seeds Grading and Marking Rules, 1981.

(ii) They shall apply to cotton seeds produced in India.

2. Definitions—In these rules, unless the context otherwise requires :

(1) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;

(2) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

(3) "Authorised Packer" means a person or a body of persons who has been granted a Certificate of Authorisation by the Agricultural Marketing Adviser, for getting the commodity graded and Agmarked in accordance with grade standards and procedure prescribed under the rules;

(4) "Certificate" means Certificate of Authorisation.

3. Grade designations :

The grade designation to indicate the quality of the cotton seeds shall be as set out in column I of Schedule I.

4. Definition of quality.—The quality indicated by the grade designations shall be as set out against each grade designations in columns 2 to 8 of Schedule I.

5. Grade designation mark.—The grade designation mark shall consist of a label specifying the grade designation and bearing a design consisting of outline map of India with the word AGMARK and figure of the rising sun with the words "Produce of India" and "भारतीय उत्पाद" resembling the mark as set out in Schedule II.

6. Method of Marking.—(1) The grade designation mark shall be securely affixed to each package in a manner approved by the Agricultural Marketing Adviser.

(2) In addition to the grade designation, the following particulars shall also be clearly marked on the lable :—

(a) Date of packing ;

(b) Lot number,

(c) Net weight, and

(d) Any other particulars, as may be specified by the Agricultural Marketing Adviser from time to time.

(3) The authorised packer may, after obtaining the prior approval of the Agricultural Marketing Adviser, mark his private trade mark on a container in a manner approved by the said officer, provided that the private trade mark does not represent a quality or grade of Cotton Seed different from that indicated by the grade designation mark affixed to the container in accordance with these rules.

7. Method of packing .—(1) Cotton Seeds shall be packed in new B-twill jute bags or any other type of container and in such capacity and such manner as may be specified from time to time by the Agricultural Marketing Adviser

(2) Packing material shall be clean and dry, free from fungus contamination and insect infestation and obnoxious smell.

(3) Each package shall contain cotton seeds of the same variety and of the same grade designation.

(4) Each package shall be securely closed and sealed in the manner prescribed by the Agricultural Marketing Adviser.

## SCHEDULE I

(See rule 3 and 4)

Grade designation and definition of quality of cotton Seeds

| Grade designation | Definition of quality | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Special characteristics | | | | | | |
| | Per cent by weight (Maximum) | | | | | | |
| | Foreign matter | Damaged seeds | Immature, shrivelled and dead seeds | Weevilled seeds | Linters | Moisture | General characteristics |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 4.0 | 10.0 | The cotton seed shall :<br>(1) be obtained from the plant of Gossypium species;<br>(2) be well developed, mature, clean and dry.<br>(3) be reasonably uniform in shape size and colour.<br>(4) be free from dirt, obnoxious smell, deleterious substances, insect infestation, visible mould attack and rodent contamination; |
| II | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 10.0 | |
| III | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 1.5 | 10.0 | 10.0 | |

Definitions :

(1) Foreign matter : : shall be stones, lumps of earth, straw, chaff, stems, any other edible or non-edible seeds or any other foreign material.

(2) Damaged seeds : shall be the seeds which are internally damaged or discoloured or broken materially affecting the quality.

(3) Immature, shrivelled and dead seeds : shall be the seeds not properly developed and/or shrunken. Dead seeds shall be those seeds which can easily be crushed, if crushed between two fingers.

(4) Weevilled seeds : shall be the seeds which are wholly or partly bored or eaten by the weevils.

(5) Linters : shall be the presence of fuzz or short lint.

SCHEDULE II

(See rule 5)

Grade designation mark

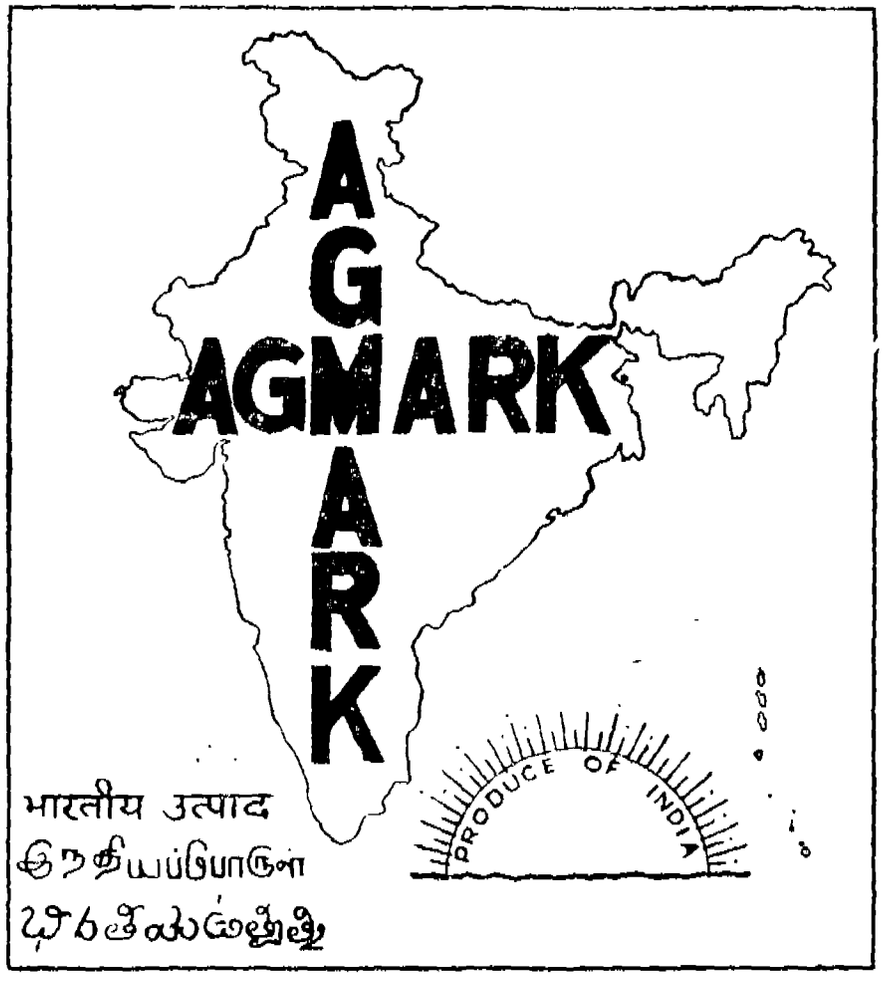


[No. 11-3/81-AM]

**सा०का०नि०** 33 —केन्द्रीय सरकार, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूरजमुखी बीज श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम 1981 बनाना चाहती है। जैसा कि उक्त धारा में अपेक्षित है, प्रस्तावित नियमों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालिस दिन की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के पूर्व उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

**प्रारूप नियम**

1. संक्षिप्त नाम और लागू होना —इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूरजमुखी बीज श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम 1981 है।

(2) ये भारत में उत्पादित सूरजमुखी बीजों को लागू होंगे।

2. परिभाषाएं —इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) 'कृषि विपणन सलाहकार' से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है;

(2) 'अनुसूची' से इन नियमों से संलग्न कोई अनुसूची अभिप्रेत है,

(3) 'प्राधिकृत पैकर' से ऐसा व्यक्ति या व्यक्ति निकाय अभिप्रेत है जिसे कृषि विपणन सलाहकार के नियमों के अधीन विहित श्रेणी मानकों और प्रक्रिया के अनुसार वस्तु को श्रेणीकृत करने और एगमार्क चिन्ह लगवाने के लिए, प्राधिकरण प्रमाणपत्र दिया है;

(4) 'प्रमाण पत्र' से प्राधिकरण प्रमाणपत्र अभिप्रेत है।

3. श्रेणी अभिधान —सूरजमुखी बीजों की क्वालिटी उपदर्शित करने वाला श्रेणी अभिधान वह होगा, जो अनुसूची 1 के स्तम्भ 1 में उपवर्णित है।

4. क्वालिटी की परिभाषा—श्रेणी अभिधानों द्वारा उपदर्शित क्वालिटी वह होगी जो अनुसूची 1 के स्तम्भ 2 से 7 में प्रत्येक श्रेणी अभिधान के सामने प्रदर्शित है।

5 श्रेणी अभिधान चिन्ह- श्रेणी अभिधान चिन्ह एक ऐसा लेबल होगा जिसमें श्रेणी अभिधान विनिर्दिष्ट होगा और ऐसी डिजाइन बनी होगी जिसमें भारत का रूप रेखा मानचित्र 'एगमार्क' शब्द और 'भारतीय उत्पाद तथा 'प्रोडयस आफ इण्डिया' शब्दों सहित उगते हुए सूर्य का चित्र होगा जो अनुसूची 2 में उपदर्शित चिन्ह के सदृश्य होगा।

6 चिन्हांकित पद्धति- (1) श्रेणी अभिधान चिन्ह कृषि विपणन सलाहकार द्वारा अनुमोदित रीति में प्रत्येक पैकेज पर मजबूती से चिपकाया जाएगा।

(2) श्रेणी अभिधान के अतिरिक्त लेबल पर निम्नलिखित विशिष्टियां भी स्पष्टतः दी जाएंगी--

(क) पैक करने की तारीख,

(ख) लाट संख्या,

(ग) शुद्ध भार और

(घ) कोई अन्य विशिष्ट जो कृषि विपणन सलाहकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

(3) प्राधिकृत पैकर, कृषि विपणन सलाहकार से पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात्, आधान पर अपना प्राइवेट व्यापार चिन्ह उक्त अधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति से अंकित कर सकेगा परन्तु यह तब जब कि प्राइवेट व्यापार चिन्ह इन नियमों के अनुसार आधान पर चिपकाए गए श्रेणी अभिधान चिन्ह द्वारा उपदर्शित सूरजमुखी बीजों की क्वालिटी का श्रेणी से भिन्न तथा क्वालिटी या श्रेणी उपदर्शित न करे.

7 पैक करने की पद्धति- (1) सूरजमुखी बीज नए बी टिकल जूट के थैलों में या किसी अन्य प्रकार के आधान में तथा ऐसी क्षमता और ऐसी रीति में पैक किए जाएंगे, जो कृषि विपणन सलाहकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

(2) पैकिंग सामग्री स्वच्छ और शुष्क होगी। फफूंदी संदूषण और कीट ग्रसन और विकृत गन्ध से मुक्त होगी।

(3) प्रत्येक पैकेज में एक ही किस्म के और एक ही श्रेणी अभिधान वाले सूरजमुखी बीज होंगे।

(4) प्रत्येक आधान को कृषि विपणन सलाहकार द्वारा विहित रीति में सुरक्षित रूप से बन्द और सील बन्द किया जाएगा।

अनुसूची 1

(नियम 3 और 4 देखिए)

सूरजमुखी बीज का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी की परिभाषा

| श्रेणी अभिधान | क्वालिटी की परिभाषा विशेष लक्षण भार द्वारा प्रतिशत (अधिकतम) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | विजातीय पदार्थ | क्षतिग्रस्त बीज | अपरिपक्व, झुर्रीदार तथा खराब बीज | घुने बीज | नमी | साधारण लक्षण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 0 | 2 0 | 10 0 | 0 5 | 5 0 | सूरजमुखी बीज— |
| 2 | 4 0 | 4 0 | 15 0 | 1 0 | 5 0 | (1) वानस्पतिक रूप से हैलिऐन्थस एनुअस लिन के रूप में ज्ञात पौधे से अभिप्राप्त किए जाएंगे। |
| 3 | 6 0 | 6 0 | 25 0 | 1 5 | 5 0 | (2) सुविकसित, परिपक्व साफ, शुष्क होंगे और धूल, विकृत गन्ध, हानिकर पदार्थों कीट ग्रसन और रोगित संदूषण से मुक्त होंगे। |
| | | | | | | (3) आकृति, आकार और रंग में युक्तियुक्त रूप से एक समान होंगे। |
| | | | | | | (4) फफूंदी के चिन्ह दृश्यमान नहीं होंगे। |

परिभाषाएं --

(1) विजातीय पदार्थ में रफड़, मिट्टी के टुकड़े घासफूस, भूसा, तने कोई अन्य खाद्य बीज या अखाद्य बीज अथवा कोई अन्य विजातीय पदार्थ होंगे।

(2) क्षतिग्रस्त बीज ऐसे बीज होंगे जो आन्तरिक रूप से इस प्रकार क्षतिग्रस्त और विवर्णित है कि उसका क्वालिटी पर प्रभाव पड़ता है।

(3) अपरिपक्व, झुर्रीदार तथा खराब बीज ऐसे होंगे जो उचित रूप से विकसित नहीं है और या सिकुड़े हुए है। खराब बीज ऐसे बीज होंगे जोकि आसानी से यदि उन्हें दो उंगलियों के बीच मसला जाए तो समझे जा सकते हैं।

(4) घुने बीज ऐसे बीज होंगे जिनमें घुन द्वारा आंशिक रूप से या पूर्णरूप से छेद कर दिया है या जिन्हें खा लिया गया है।

अनुसूची 2

(नियम 5 देखिए)

श्रेणी अभिदान चिन्ह

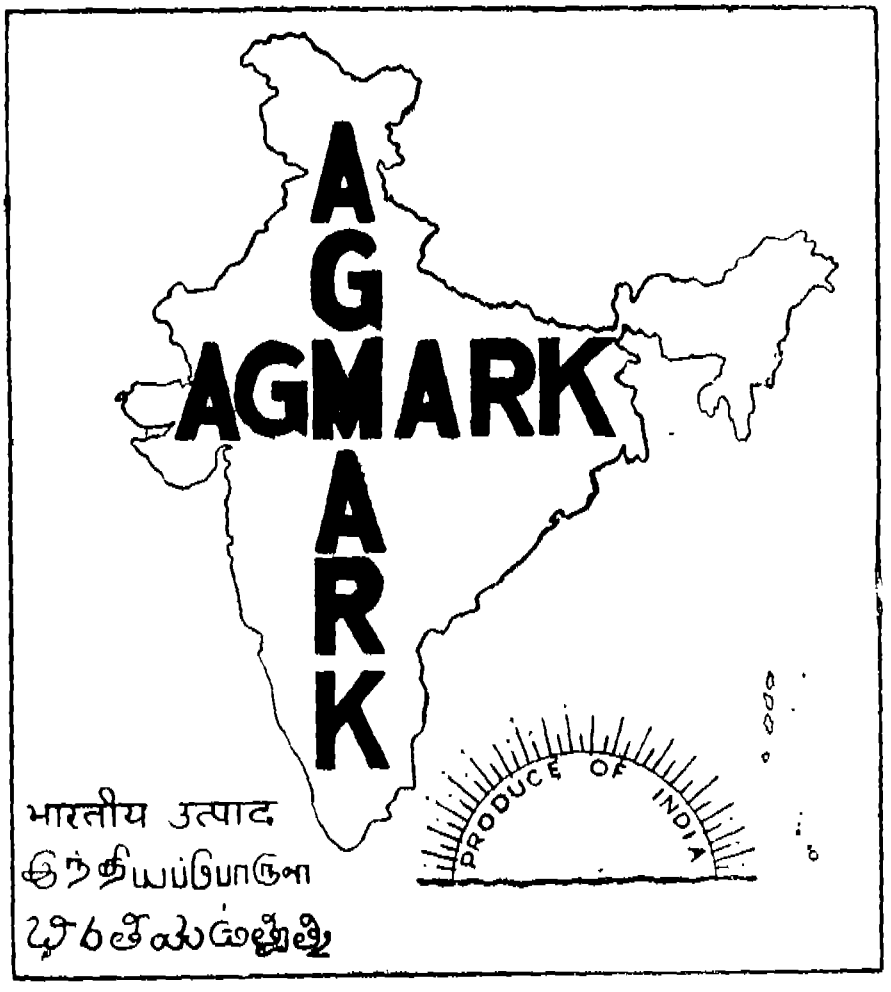


[सं० 11-3/81-एसएम]

**G.S.R. 33.**—The following draft of the Sunflower Seeds Grading and Marking Rules, 1981, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), is published as required by the said Section for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of fortyfive days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period so specified shall be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title and application.—(1) These rules may be called the Sunflower Seeds Grading and Marketing Rules, 1981.

(2) They shall apply to Sunflower seeds produced in India.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(1) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;

(2) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

(3) "Authorised packer" means a person or a body of persons who has been granted a Certificate of Authorisation by the Agricultural Marketing Adviser for getting the commodity graded and agmarked in accordance with the grade standards and procedure prescribed under the rules;

(4) "Certificate" means Certificate of Authorisation.

3. Grade designation.—The grade designation to indicate the quality of the Sunflower Seeds shall be as set out in column 1 of Schedule I.

4. Definition of quality.—The quality indicated by the grade designations shall be as set out against each grade designation in columns 2 to 7 of Schedule I.

5. Grade designation mark.—The grade designation mark shall consist of a label specifying the grade designation and bearing a design consisting of an outline map of India with the word "AGMARK" and figure of the rising sun with the words "Produce of India" and " भारतीय उत्पाद"

resembling the mark as set out in Schedule II.

6. Method of marking.—(1) The grade designation mark shall be securely affixed to each package in a manner approved by the Marketing Adviser.

(2) In addition to the grade designation, the following particulars shall also be clearly marked on the label:

(a) date of packing;

(b) lot number ;

(c) net weight; and

(d) any other particulars as may be specified by the Agricultural Marketing Adviser from time to time.

(3) The authorised packer may, after obtaining the prior approval of the Agricultural Marketing Adviser, mark his private trade mark on a container in a manner approved by the said officer, provided that the private trade mark does not represent a quality grade of Sunflower Seeds different from that indicated by the grade designation mark affixed to the container in accordance with these rules.

7. Method of packing.—(1) Sunflower seeds shall be packed in new B-twill jute bags or any other type of contained and in such capacity and such manner as may be specified from time to time by the Agricultural Marketing Adviser.

(2) Packing material shall be clean and dry, free from fungus contamination and insect infestation and obnoxious smell.

(3) Each package shall contain Sunflower seeds of the same variety and of the same grade designation

(4) Each package shall be securely closed and sealed in the manner prescribed by the Agricultural Marketing Adviser.

## SCHEDULE I

(See rule 3 and 4)

Grade designation and definition of quality of Sunflower seeds.

| Grade designation | Definition of quality | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Special characteristics | | | | | |
| | Foreign matter | Damaged seeds | Percent by weight (Maximum) Immature, shrivelled and dead seeds | Weevilled seeds | Moisture Content | General characteristics |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 0.5 | 5.0 | (1) The sunflower seeds shall:(1) be obtained from the plant botanically known as Helianthes annus Linn. |
| II | 4.0 | 4.0 | 15.0 | 1.0 | 5.0 | (2) be well developed, mature, clean and dry, free from dirt, obnoxious smell, deleterious substances, insect infestation, and rodent contamination |
| III | 6.0 | 6.0 | 25.0 | 1.5 | 5.0 | (3) be reasonably uniform in shape, size and colour.<br>(4) not show any visible sign of mould attack. |

Definitions

(1) Foreign matter : shall be stones, lumps of earth, straw, chaff, stems, any other edible or non-edible seeds on any other foreign material.

(2) Damaged seeds : shall be the seeds which are internally damaged or discoloured or broken materially affecting the quality.

(3) Immature shrivelled and dead seeds : shall be the seeds not properly developed and/or shrunken. Dead seeds shall be those seeds which can easily be crushed, if crushed between two fingers.

(4) Weevilled seeds : shall be those seeds which are wholly or partly bored or eaten by the weevils.

SCHEDULE II

(See rule 5)

Grade designation mark

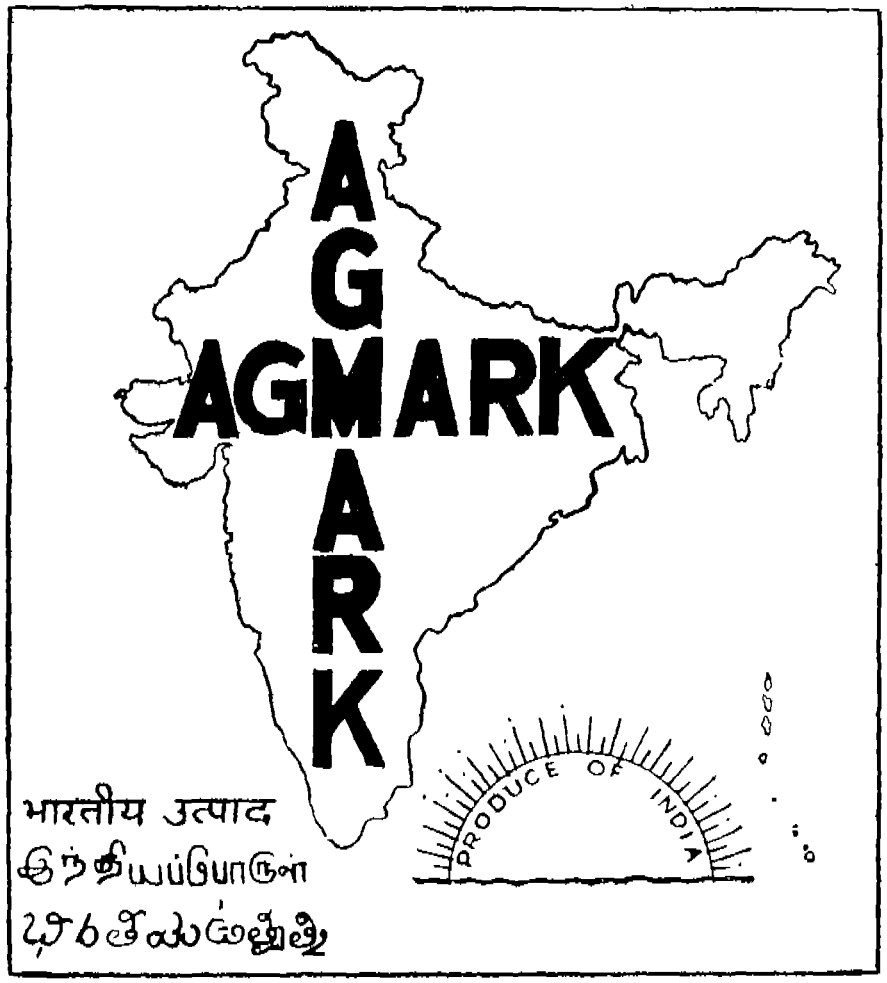


[No. 11-3/81-AM]

**सा०का०नि०** 34.—केन्द्रीय सरकार, कृषि उपज, (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुसुम्भ बीज श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1981 बनाना चाहती है। जैसा कि उक्त धारा में अपेक्षित है, प्रस्तावित नियमों का निम्न लिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालिस दिन की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा।

इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के पूर्व उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

**प्रारूप नियम**

1. संक्षिप्त नाम और लागू होना—इन नियमों का संक्षिप्त नाम कुसुम्भ बीज श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1981 है।

(2) ये भारत में उत्पादित कुसुम्भ बीजों को लागू होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) 'कृषि विपणन सलाहकार' से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है;

(2) 'अनुसूची' से इन नियमों से संलग्न कोई अनुसूची अभिप्रेत है,

(3) 'प्राधिकृत पैकर' से ऐसा व्यक्ति या व्यक्ति निकाय अभिप्रेत है जिसे कृषि विपणन सलाहकार के नियमों के अधीन विहित श्रेणी मानकों और प्रक्रिया के अनुसार वस्तु की श्रेणीकृत कराने और एगमार्क चिन्ह लगवाने के लिए, प्राधिकरण प्रमाणपत्र दिया है,

(4) 'प्रमाणपत्र' से प्राधिकरण प्रमाणपत्र अभिप्रेत है।

3 श्रेणी अभिधान—कुसुम्भ बीज की क्वालिटी प्रदर्शित करने वाला श्रेणी अभिधान वह होगा जो अनुसूची 1 के स्तम्भ 1 में उपवर्णित है।

4. क्वालिटी की परिभाषा—श्रेणी अभिधानों द्वारा उपदर्शित क्वालिटी वह होगी जो अनुसूची 1 के स्तम्भ 2 से 7 में प्रत्येक श्रेणी अभिधान के सामने उपवर्णित है।

5. श्रेणी अभिधान चिन्ह—श्रेणी अभिधान चिन्ह एक ऐसा लेबल होगा जिसमें श्रेणी अभिधान विनिर्दिष्ट होगा और ऐसी डिजाइन बनी होगी जिसमें भारत का रूपरेखा मानचित्र, 'एगमार्क' शब्द और "भारतीय उत्पाद" तथा 'प्रोडयूस आफ इंडिया' शब्दों सहित उगते हुए सूर्य का चित्र होगा जो अनुसूची 2 में उपवर्णित चिन्ह के सदृश्य होगा।

6. चिन्हांकन पद्धति—(1) श्रेणी अभिधान चिन्ह कृषि विपणन सलाहकार द्वारा अनुमोदित रीति से प्रत्येक पैकेज पर मजबूती से चिपकाया जाएगा।

(2) श्रेणी अभिधान चिन्ह के अतिरिक्त लेबल पर निम्नलिखित विशिष्टियां भी स्पष्टतः दी जाएंगी :—

(क) पैक करने वाले का नाम और पता

(ख) पैक करने की तारीख;

(ग) लाट संख्या;

(घ) शुद्ध भार; और

(ङ) कोई अन्य विशिष्ट जो कृषि विपणन सलाहकार समय समय पर विनिर्दिष्ट करें।

(3) प्राधिकृत पैकर, कृषि विपणन सलाहकार से पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात, आधीन पर अपना प्राइवेट व्यापार चिन्ह उक्त अधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति से अंकित कर सकेगा, परन्तु यह तब जब कि प्राइवेट व्यापार चिन्ह इन नियमों के अनुसार आधान पर चिपकाए गए श्रेणी अभिधान चिन्ह द्वारा उपदर्शित कुसुम्भ बीजों की क्वालिटी या श्रेणी से भिन्न क्वालिटी या श्रेणी उपदर्शित न करें।

7. पैक करने की पद्धति : (1) कुसुम्भ बीज नए बी-टिकल जैट के थैलों से या किसी अन्य प्रकार के आधान में तथा ऐसी क्षमता और ऐसी रीति में पैक किए जाएंगे, जो कृषि विपणन सलाहकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें।

(2) पैकिंग सामग्री स्वच्छ और शुष्क होगी। फफूंदी दूषण और कीट ग्रसन और विकृत गन्ध से मुक्त होगी।

(3) प्रत्येक पैकेज में एक ही किस्म के और एक ही श्रेणी अभिधान वाले कुसुम्भ बीज होंगे।

(4) प्रत्येक आधान को कृषि विपणन सलाहकार द्वारा विहित रीति में सुरक्षित रूप से बन्ध और सील बन्द किया जाएगा।

**अनुसूची 1**

(नियम 3 और 4 देखिए)

कुसुम्भ बीजों का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी की परिभाषा

| श्रेणी अभिधान | क्वालिटी की परिभाषा विशेष लक्षण भार (अधिकतम) द्वारा प्रतिशत | | | | | साधारण लक्षण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | विजातीय पदार्थ | क्षतिग्रस्त और घुने बीज | किंचित क्षतिग्रस्त बीज | अपरिपक्व, झुरीदार तथा खराब बीज | नमी | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | कुसुम्भ बीज :— |
| 2 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | (क) वानस्पतिक रूप से कारथामस टिंक्टोरियस लिन के रूप में ज्ञात पौधे से अभिप्राप्त किए जाएंगे। |
| | | | | | | (ख) सुविकसित, परिपक्व, साफ, शुष्क होंगे और धूल विकृत गन्ध हानिकर पदार्थों कीट ग्रसन और रोगिक संदूषण से मुक्त होंगे। |
| | | | | | | (ग) फफूंदी के चिन्ह वर्णित नहीं होंगे |
| | | | | | | (घ) आकृति, आकार और रंग में युक्तियुक्त रूप से एक समान होंगे। |

परिभाषाएं :—

1. विजातीय पदार्थ पत्तियां, तने, कंकड, घासफूंस, भूसा, मिट्टी के टुकड़े कोई अन्य खाद्य या अखाद्य बीज अथवा को अन्य होंगे।

2. क्षतिग्रस्त बीज और घुने बीज ऐसे बीज होंगे जो आन्तरिक रूप से क्षतिग्रस्त या तात्विक रूप से इस प्रकार विवरणित है, टूटे हुए हैं या जिनमें घुन द्वारा आंशिक रूप से या पूर्ण से छेद कर दिया गया है। खा लिया गया है, कि उससे क्वालिटी पर प्रभाव पड़ता है।

3. किंचित क्षतिग्रस्त बीज ऐसे बीज होंगे जो बाह्य रूप से या आंशिक रूप से इस प्रकार क्षतिग्रस्त है कि इससे क्वालिटी पर प्रभाव नहीं पड़ता है।

4. अपरिपक्व, झुरीदार तथा खराब बीज ऐसे बीज होंगे जो अपूर्ण रूप से विकसित हैं और या सिकुड़े हुए हैं। खराब बीज ऐसे बीज होंगे जो आसानी से, यदि उन्हें दो उंगलियों के बीच मसला जाए तो, मसले जा सकते हैं।

अनुसूची 2

(नियम 5 देखिए)

श्रेणी अभिधान चिन्ह

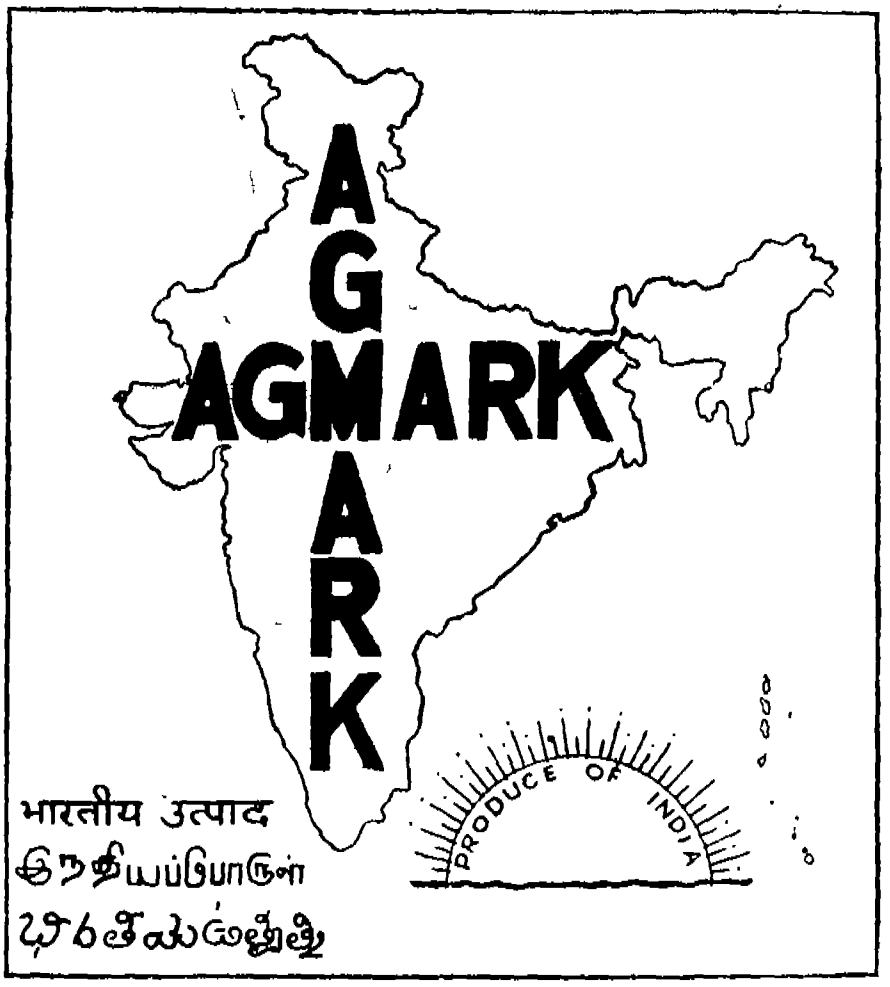


[सं० 11-3/81-ए०एम०]

**G.S.R. 34.**—The following draft of the Safflower Seeds Grading and Marking Rules, 1981, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), is published as required by the said Section for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of forty-five days from the date of publication in the Official Gazette. resembling the mark as set out in Section II.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period so specified shall be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title and application .—(1) These rules may be called the Safflower Seeds Grading and Marking Rules, 1981.

(2) They shall apply to Safflower seeds produced in India.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(1) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;

(2) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

(3) "Authorised packer" means a person or a body of persons who has been granted a Certificate of Authorisation by the Agricultural Marketing Adviser for getting the commodity graded and agmarked in accordance with the grade standards and procedure prescribed under the rules;

(4) "Certificate" means Certificate of Authorisation.

3. Grade designation.—The grade designation to indicate the quality of the Safflower Seeds shall be as set out in column 1 of Schedule I.

4. Definition of quality.—The quality indicated by the grade designations shall be as set out against each grade designation in columns 2 to 7 of Schedule I.

5. Grade designation mark.—The grade designation mark shall consist of a label specifying the grade designation and bearing a design consisting of an outline map of India with the word "AGMARK" and figure of the rising sun with the words "Produce of India" and "भारतीय उत्पाद"

resembling the mark as set out in Schedule II.

6. Method of marking.—(1) The grade designation mark shall be securely affixed to each package in a manner approved by the Agricultural Marketing Adviser.

(2) In addition to the grade designation marks, the following particulars shall be clearly marked on the label :

(a) Name and address of the packer ;

(b) Date of packing ;

(c) Lot number;

(d) Net weight; and

(e) Any other particulars, as may be specified by the Agricultural Marketing Adviser from time to time.

(3) The authorised packer may, after obtaining the prior approval of the Agricultural Marketing Adviser, mark his private trade mark on a container in a manner approved by the said officer, provided that the private trade mark does not represent a quality or grade of Sunflower Seeds different from that indicated by the grade designation mark affixed to the container in accordance with these rules.

7. Method of packing.—(1) Sunflower seeds shall be packed in new B-twill jute bags or any other type of container and in such capacity and manner as may be specified from time to time by the Agricultural Marketing Adviser.

(2) Packing material shall be clean and dry, free from fungus contamination and insect infestation and obnoxious smell.

(3) Each packing shall contain Sunflower seeds of the same variety and of the same grade designation.

(4) Each container shall be securely closed and sealed in the manner prescribed by the Agricultural Marketing Adviser.

## SCHLDULE I

(See rule 3 and 4)

Grade designation and definition of quality of Sunflower Seeds

| Grade Design. tion | Definition of quality | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Specific characteristics | | | | | General characteristics |
| | Per cent by weight (Maximum) | | | | | |
| | Foreign matter | Damaged and weevilled seeds | Slightly damaged seeds | Immature, shrivelled and dead seeds | Moisture | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | Sunflower seeds shall : (a) be obtained from the plant botanically known as Carthamus Tinctorius Linn. (b) be well developed, mature, clean, dry, and free from dirt, obnoxious smell, deleterious substances, insect infestation and rodent contamination, (c) not show any visible sign of mould attack; (d) be reasonably uniform in shape, size and colour. |
| II | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |

Definitions :

(1) Foreign matter : shall be the leaves, stems, stones, straw, chaff, lumps of earth, any other edible or non-edible seeds or any other impurity.

(2) Damaged and weevilled seeds : shall be the seeds which are internally damaged or discoloured, broken and/or wholly or partly bored/eaten by the weevils, materially affecting the quality.

(3) Slightly damaged : shall be the seeds which are externally or partly damaged or discoloured without affecting the quality materially.

(4) Immature, shrivelled and dead seeds : shall be seeds which are not properly developed and/or shrunken. Dead seeds shall be the seeds which can be easily crushed, if pressed between two fingers.

SCHEDULE II

(See rule 5)

Grade designation mark

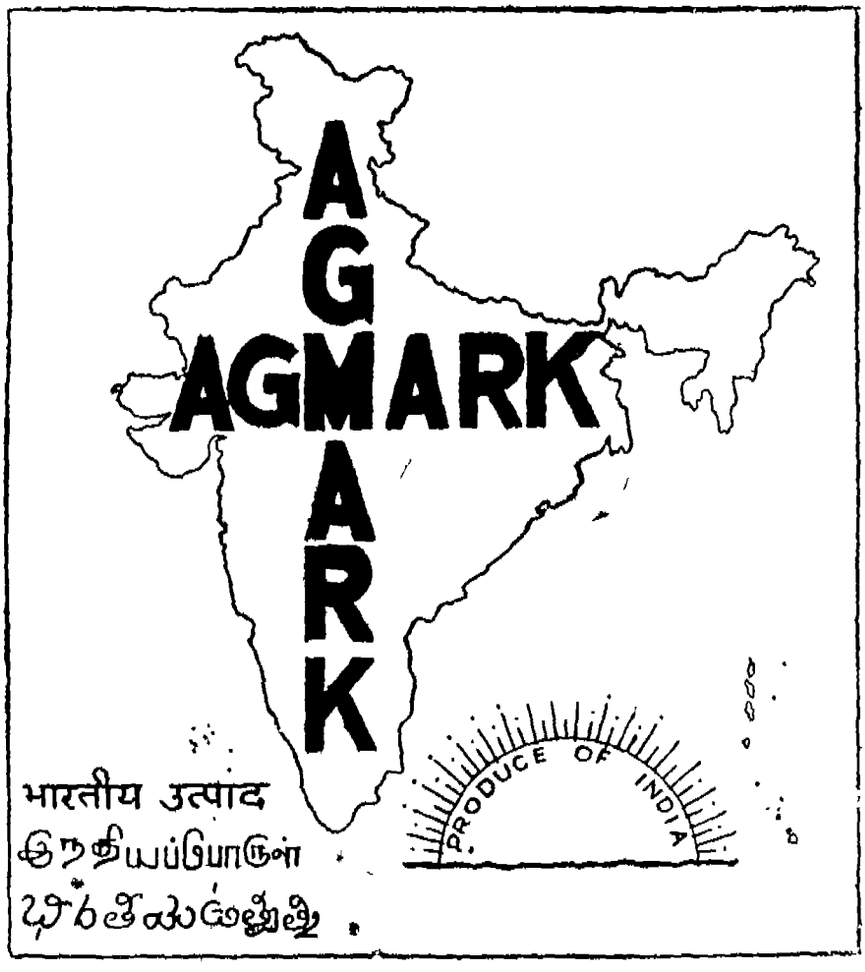




[No. 11-3-81-AM]

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1981

सा०का०नि० 35.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में सहायक विपणन विकास अधिकारी (शीतागार और प्रशीतन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विपणन और निरीक्षण निदेशालय सहायक विपणन विकास अधिकारी (शीतागार और प्रशीतन) भर्ती नियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—(1) आरम्भिक गठन.—विपणन और निरीक्षण निदेशालय में 550-800 रु० के वेतनमान में ज्येष्ठ निरीक्षक (शीतागार) के पद का नियमित धारक जो आयोग द्वारा उपयुक्त निर्धारित किया गया है नीचे उप नियम (2) के अनुसार सहायक विपणन] विकास अधिकारी (शीतागार और प्रशीतन) के पद पर 550-900 रु० के वेतनमान में नियुक्त किया गया माना जाएगा।

(2) भावी अनुरक्षण.—उक्त पद से संबंधित, भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और अन्य बातें उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट रूप में होंगी।

4. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार, द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा | सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6क | 7 |
| सहायक विपणन विकास अधिकारी (शीतागार और प्रशीतन) | 4* *(1981) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित अलिपिकवर्गीय | 550-25-750-द॰रो॰-30-900 रु॰ | लागू नहीं होता | 30 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिए, जो उन पदों पर कार्य कर रहे हैं, जो उसी पंक्ति या सहबद्ध काडर के हैं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।<br>टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख प्रत्येक मामले में भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। | नहीं | आवश्यक :<br>1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की प्रशीतन और वातानुकूलन या यांत्रिक इंजीनियरी या विद्युत इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य।<br>2. अधिमानतः औद्योगिक फिल्म के प्रशीतन प्लांट या बर्फ तथा शीतागार प्लांट को लगाने और उनका अनुरक्षण करने का अनुभव।<br>टिप्पण :<br>1. अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।<br>3. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में उस दशा में शिथिल की जा सकती है (हैं), जब कि चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि इनके लिए आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो। | भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती किए जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता। | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायगा। | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नहीं होता | दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह "ख" वि०पो०स०<br>1. कृषि विपणन सलाहकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय-अध्यक्ष।<br>2. उप सचिव (वि०) ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय-सदस्य।<br>3. संयुक्त कृषि विपणन सलाहकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय-सदस्य।<br>4. प्रशासन-निदेशक, विपणन और निरीक्षण निदेशालय—सदस्य।<br>टिप्पण : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु यदि संघ लोक सेवा आयोग इनका अनुमोदन नहीं करता है तो, विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी। | सीधे भर्ती करते समय इन नियमों के किसी संशोधित और शिथिल करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायगा। |

[सं० एफ० 1-17/77-ए०एम०]

गन्धर्व सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 18th December, 1981

**G.S.R. 35.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Marketing Development Officer (CSR) in the Directorate of Marketing and Inspection, Ministry of Rural Reconstruction, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Directorate of Marketing and Inspection, Assistant Marketing Development Officer (CSR) Recruitment Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—

(1) Initial Constitution.—The regular holder of the post of Senior Inspector (Cold Storage) in the scale of Rs. 550-800 in the Directorate of Marketing and Inspection assessed suitable by the Commission shall be deemed to have been appointed to the post of Assistant Marketing Development Officer (CSR) in the scale of Rs. 550-900 in accordance with sub-rule (2) below.

(2) Future Maintenance.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters related to the said post, shall be as specified in column 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972 | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6(a) | 7 |
| Assistant Marketing Development Officer (Cold Storage Refrigeration) | *4(1981) Subject to variation depending work load | General Central Service Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial | Rs. 550-25-750-EB-30-900 | Not applicable | Not exceeding 30 years (Relaxable upto 5 years for such Govt. servants as are working in posts which are in the same line or allied cadres at the discretion of the U.P.S.C. Note:—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). | No | Essential : (i) Degree in Refrigeration and Air conditioning or Mechanical Engineering or Electrical Engineering of a recognised University or equivalent. (ii) Experience in installation or maintenance of refrigeration plants or ice and cold storage plants preferably of industrial types. Note 1:—Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified. Note 2:—The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Schedule Tribes if, at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees | Period of probation, if any. | Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer, & percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made | If a DPC exists what is its composition | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable. | 2 years | By direct recruitment. | Not applicable. | Group 'B' DPC (for considering confirmation of direct recruits)<br>1. Agricultural Marketing Adviser, Dte. of Marketing & Inspection—Chairman.<br>2. Deputy Secretary (M), Ministry of Rural Reconstruction—Member<br>3. Joint Agricultural Marketing Adviser, Dte. of Marketing and Inspection—Member.<br>4. Director of Administration, Dte. of Marketing & Inspection—Member.<br>Note:—The Proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Union Public Service Commission for approval. If, however, these are not approved by the Union Public Service Commission a fresh meeting of the DPC to be presided oder by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held. | Union Public Service Commission shall be consulted while making direct recruitment, amending and relaxing any of the provisions of these rules. |

[No. F. 1-17/77-AM]
GANDHARV SINGH, Under Secy.

## नौवहन और परिवहन मंत्रालय

### (पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1981

सा०का०नि० 36.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कांडला पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा निर्मित और गुजरात सरकार के तारीख 16 जुलाई 1981 और 23 जुलाई, 1981 के राजपत्र में प्रकाशित कांडला पत्तन कर्मचारी आवासीय निर्माण के लिए अग्रिम की स्वीकृति संशोधन विनियम, 1981 का अनुमोदन करती है।

[सं० पी डब्ल्यू-पी ई आर-10/81]
राम तिलक पाण्डेय, अवर सचिव

## MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

### (Ports Wing)

New Delhi, the 18th December, 1981

**G.S.R. 36.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124 read with sub-section (1) of section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves of the Regulation entitled, Kandla Port Employees (Grant of Advances for Building Houses) Amendment Regulations, 1981) made by the Board of Trustees of the Port of Kandla in exercise of the powers conferred by section 28 read with sub-section (2) of section 124, of the said Act, and published in the Gujarat Government Gazette dated the 16th July, 1981 and the 23rd July, 1981.

[No. PW-PER10/81]
R. T. PANDEY, Under Secy.

## संस्कृति विभाग

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1981

सा०का०नि० 37.—सार्वजनिक सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय संग्राहालय अधिनियम, 1910 (1910 का 10) के उपखण्ड 1 की धारा (ज) और खण्ड 2 के उपखण्ड (3) के परन्तुक का अनुसरण करते हुए डा० मतिन्द्रनाथ मुखर्जी, एम०ए०,पी०एच० डी० (लन्दन), एफ०एस०ए०, 56 जतिन दास रोड, कलकत्ता कोएशियाटिक सोसायटी कलकत्ता की परिषद द्वारा 17 नवम्बर, 1981 से अगली तीन वर्षों की अवधि के लिये भारतीय संग्राहालय, कलकत्ता न्यासी के रूप में मनोनीत किया गया है।

[सं० एफ० 11-10/81-सी०एच० 5.]

## DEPARTMENT OF CULTURE

New Delhi, the 21st December, 1981

**G.S.R. 37.**—It is hereby notified for the information of the public that in pursuance of clause (h) of sub-section (1), and the proviso to sub-section (3), of section 2 of the Indian Museum Act, 1910 (10 of 1910), Dr. Bratindra Nath Mukherjee, M.A., Ph.D. (London), F.S.A., of 56 Jatin Das Road, Calcutta-29 has been nominated by the Council of the Asiatic Society, Calcutta, as Trustee of the Indian Museum, Calcutta, for a further period of three years with effect from the 17th November, 1981.

[No. F. 11-10/81-CH.5]

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1981

**सा०का०नि० 38.**—संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली (ग्रुप 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियमावली, 1963 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली (ग्रुप 'क' और 'ख' पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1981 कहा जाएगा।

(2) ये, सरकारी राजपत्र में इनके छपने की तारीख से लागू होंगे।

2. राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली (ग्रुप 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियमावली, 1963 की अनुसूची में।

(i) जहाँ कहीं भी "वरिष्ठ तकनीकी सहायक" और "वरिष्ठ तकनीकी सहायकों" शब्द आयें उनके स्थान पर क्रमशः "संग्रहपाल सहकारी" तथा "संग्रहपाल सहचारी" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) पुरातत्व-विज्ञान, चित्रकला, शस्त्र, सज्जा कला, अरबी पांडुलिपि, मुद्राशास्त्र और पुरालेख शास्त्र तथा तकनीकी इकाई के वरिष्ठ तकनीकी सहायक के पदों तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रति : स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6(क) | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| संग्रहपाल सहचारी (शस्त्र) | 1 | सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'ख' अराजपत्रित अलिपिक वर्गीय | 550-25-750-दरो-30-900 रु० | लागू नहीं होता | 30 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए ढील दी जा सकती है)<br>टिप्पणी :— आयु सीमा को निर्धारित करने वाली निर्णायक तिथि भारत के उम्मीदवारों (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों को छोड़कर) से आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। किसी लब्ध प्रतिष्ठ संग्रहालय अथवा किसी समतुल्य संस्था में 2 वर्ष का अनुभव। | नहीं | अनिवार्य :<br>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की भारतीय इतिहास/संस्कृत/पाली/प्राकृत/फारसी/अरबी/पुरातत्व-विज्ञान अथवा कला तथा सौन्दर्यशास्त्र के विशेष ज्ञान तथा शस्त्रों के पर्याप्त ज्ञान सहित अन्य प्रयुक्त विषयों में मास्टरर्स डिग्री अथवा समकक्ष।<br>(ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्था का संग्रहालय-विज्ञान में डिप्लोमा अथवा समकक्ष अथवा<br>टिप्पणी 1:—अन्यथा योग्य उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हताओं में ढील दी जा सकती है।<br>टिप्पणी 2 :—अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अनुभव से सम्बन्धी अर्हताओं में ढील दी जा सकती है बशर्ते कि चयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता | 2 वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता | ग्रुप 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए)<br>1. संयुक्त सचिव/संयुक्त शिक्षा सलाहकार, संस्कृति विभाग—— अध्यक्ष<br>2. निदेशक, राष्ट्रीय संग्रहालय——सदस्य<br>3. उप सचिव/उप शिक्षा सलाहकार, संस्कृति विभाग ——सदस्य<br>टिप्पणी :—— स्थायीकरण से सम्बन्धी विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही अनुमोदन के लिए आयोग को भेजी जाएगी, तथापि, यदि ये आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं की जाती तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा इसके किसी सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति की एक नई बैठक आयोजित की जाएगी। | सीधी भर्ती करते समय तथा इन नियमों के किसी उपबन्ध को संशोधित करने/ढील देने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6(क) | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| संग्रहपाल सहचारी (अरबी पाडुलिपि) | 1 | सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'ख' अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय | 550-25-750-द रो-30-900 रु० | लागू नहीं होता | 30 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए ढील दी जा सकती है)।<br>टिप्पणी :—आयु सीमा को निर्धारित करने वाली निर्णायक तिथि भारत के उम्मीदवारों (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों को छोड़कर) से आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। | नहीं | अनिवार्य :<br>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की भारतीय इतिहास/फारसी/अरबी अथवा संग्रहणास्त्र, अरबी और फारसी पांडुलिपियों और सुलेखन के विषय में विशेष ज्ञान सहित अन्य प्रयुक्त विषयों में मास्टर डिग्री अथवा समकक्ष।<br>(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्व संस्था का संग्रहालय विज्ञान में डिप्लोमा अथवा समकक्ष।<br>अथवा<br>किसी लब्ध-प्रतिष्ठ संग्रहालय अथवा किसी समतुल्य संस्था में 2 वर्ष का अनुभव।<br>टिप्पणी 1 :—अन्यथा योग्य उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हताओं में ढील दी जा सकती है।<br>टिप्पणी 2 :—अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | पर अनुभव से सम्बन्धी अर्हताओं में ढील दी जा सकती है। बशर्ते कि चयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इस समुदायों के पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता | 2 वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता | ग्रुप 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए)।<br>1. संयुक्त सचिव/संयुक्त शिक्षा सलाहकार, संस्कृति विभाग --अध्यक्ष<br>2. निदेशक, राष्ट्रीय संग्रहालय --सदस्य<br>3. उप सचिव/उप शिक्षा सलाहकार, संस्कृति विभाग --सदस्य<br>टिप्पणी:—स्थायीकरण से सम्बन्धी विभागीय पदोन्नति समिति की कार्रवाई अनुमोदन के लिए आयोग को भेजी जाएगी, तथापि यदि ये आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं की जाती तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा इसके किसी सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति की एक नई बैठक आयोजित की जाएगी। | सीधी भर्ती करते समय तथा इन नियमों के किसी उपबन्ध को संशोधित करने/ढील देने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6क | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| संग्रहालय/सहचारी<br>(i) पुरातत्व-विज्ञान 1<br>(ii) चित्रकला 1<br>(iii) सज्जा कला 1<br>(iv) मुद्राशास्त्र तथा पुरातत्व-विज्ञान 1<br>(v) तकनीकी एकक 1 | 5 | सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'ख' अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय | 550-25-750-द०रो० 30-900 रु० | चयन | 30 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए ढील दी जा सकती है)<br>टिप्पणी:- आयु सीमा को निर्धारित करने वाली निर्णायक तिथि भारत के उम्मीदवारों (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों को छोड़कर) से आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि होगी। | नहीं | अनिवार्य :<br>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की भारतीय इतिहास/संस्कृत/पाली/प्राकृत/फारसी/अरबी/पुरातत्व-विज्ञान अथवा अपेक्षित विषय के विशेष ज्ञान (भर्ती के समय निर्धारित) सहित अन्य प्रयुक्त विषयों में मास्टर डिग्री अथवा समकक्ष।<br>(ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्था का संग्रहालय-विज्ञान में डिप्लोमा अथवा किसी लब्ध प्रतिष्ठ संग्रहालय |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6क | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | अथवा किसी समतुल्य संस्था में 2 वर्ष का अनुभव ।<br>टिप्पणी 1 : अन्यथा योग्य उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हताओं में ढील दी जा सकती है।<br>टिप्पणी 2 : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अनुभव से संबंधी अर्हताओं में ढील दी जा सकती है बशर्ते कि चयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| नहीं | 2 वर्ष | 50% पदोन्नति :<br>द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।<br>50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। | पदोन्नति :<br>तकनीकी सहायक (पुरातत्व-विज्ञान/मुद्रा शास्त्र तथा पुरालेख-विज्ञान/संस्कृत-पाण्डुलिपि/ मानव-विज्ञान/प्रकाशन/पूर्व-इतिहास/ केन्द्रीय एशियाई पुरातत्व विशेष संबंधित ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले। | ग्रुप 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति .<br>1. संयुक्त सचिव/ संयुक्त शिक्षा सलाहकार, संस्कृति विभाग—अध्यक्ष<br>2. निदेशक, राष्ट्रीय संग्रहालय —सदस्य<br>3. उप सचिव/उप शिक्षा सलाहकार, संस्कृति विभाग —सदस्य<br>टिप्पणी :—स्थायीकरण से संबंधी विभागीय पदोन्नति समिति की कार्रवाई अनुमोदन के लिए आयोग को भेजी जाएगी, तथापि, यदि ये आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं की जाती तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा इसके किसी सदस्य को अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति की एक नई बैठक आयोजित की जाएगी। | सीधी भर्ती करते समय तथा इन नियमों के किसी उपबन्ध को संशोधित करने/ढील देने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। |

[सं० एफ० 3-35/78-सीए1(5)/सी०एच० 5]
एन०एम० जस्सल अवर सचिव

**Department of Culture**

New Delhi, the 24th December, 1981

**G.S.R. 38**:- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the National Museum, New Delhi (Group 'A' and 'B' posts) Recruitment Rules, 1963, namely:—

1. (1) These rules may be called the National Museum, New Delhi (Group 'A' and 'B' posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1981

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the National Museum, New Delhi (Group 'A' and 'B' posts) Recruitment Rules, 1963.

(i) for the words "Senior Technical Assistant" and "Senior Technical Assistants", wherever they occur, the words, "Curatorial Associate" and "Curatorial Associates" shall, respectively, be substituted;

(ii) for the posts of Senior Technical Assistant, Archaeology, Paintings, Arms, Decorative Art, Arabic Manuscripts, Numismatics & Epigraphy and Technical Unit and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6A | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curatorial Associate(Arms) | 1 | General Central Services Group 'B' Non-Gazetted Non-Ministerial | Rs. 550-25-750-EB-30-900 | N.A. | Not exceeding 30 years (Relaxable for Govt. servants)* Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman & Nicobar Iseands and Lakshadweep) | No | Essential :— (i) Master's degree in Indian History/Sanskrit/Pali/Prakrit/Persian/Arabic/Archaeology or other allied subjects with Special knowledge of Art and aesthetics with adequate knowledge of the arms, of a recognised University or equivalent. (ii) Diploma in Museology of a recognised Institution or equivalent. OR 2 years' experience in Museum of standing or comparable institution** Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the U.P.S.C. in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the U.P.S.C. in the case of candidates belonging to Schedule Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the U.P.S.C. is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| N.A. | 2 years | By direct recruitment | Not applicable | Group 'B' D.P.C. (for considering confirmation).<br>1. Joint Secretary/Joint Educational Adviser, Deptt. of Culture —Chairman.<br>2. Director, National Museum—Member.<br>3. Deputy Secretary/ Deputy Educational Adviser, Deptt. of Culture—Member.<br>Note : The Proceedings of the DPC relating to confirmation of direct recruits shall be sent to the Commission for approval, if however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held. | Consultation with U.P.S.C. necessary while making direct recruitment and for amending/relaxing any of the provisions of these rules. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6(a) | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curatorial Associate (Arabic Manuscripts). | 1 | General Central Service Group 'B' Non-Gazetted Non-Ministerial. | Rs. 550-25-750-EB-30-900 | Not applicable. | Not exceeding 30 years (relaxable for Govt. servants).<br><br>Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India(other than those in the Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep). | No | Essential :<br>(i) Master's degree in Indian History/Persian/ Arabic or other allied subjects with special knowledge in the subject of Epigraphy, Arabic and Persian-Manuscripts and Calligraphy of a recognised University or equivalent.<br>(ii) Diploma in Museology of a recognised institution or equivalent. OR<br>2 years' experience in a museum of standing or a comparable institution.<br>Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the U.P.S.C. in case of candidates otherwise well qualified.<br>Note 2 : The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the U.P.S.C. in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6(a) | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | if, at any stage of selection, the U.P.S. C. is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Not applicable | 2 years | By direct recruitment | Not applicable | Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation).<br>1. Joint Secretary/Joint Educational Adviser Deptt. of Culture. —Chairman.<br>2. Director, National Museum—Member.<br>3. Deputy Secretary/ Deputy Educational Adviser Deptt. of Culture—Member.<br>Note:—The Proceedings of the DPC relating to confirmation of direct recruits shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the D. P.C. to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held. | Consultation with the U.P S.C. necessary while making. direct recruitment and amending / relaxing any of the provision of these rules. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6a | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curatorial Associates.<br>(i) Archaeology—1<br>(ii) Paintings—1<br>(iii) Decorative Art—1<br>(iv) Numismatics & Epigraphy—1<br>(v) Technical Unit—1 | 5 | General Central Services Group 'B' Non-Gazetted Non-Ministerial | Rs. 550-25-750 EB-30-900. | Selection | Not exceeding 30 years (Relaxable for Govt. servants).<br>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India other than those in the Andaman & Nicobar | No | Essential :—<br>(i) Master's degree in Indian History/Sanskrit/Pali/Prakrit/Persian/Arabic/Archaeology or other allied subjects with special knowledge required subject (specified at the time of recruitment) from a recognised University for equivalent.<br>(ii) Diploma in Museology of a recognised Institution OR |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6(a) | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Islands and Lakshadweep). | | 2 years' experience in a museum of standing or a comparable institution.<br>Note 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the U.P. S.C. in case of candidates otherwise well qualified.<br>Note 2. The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the U.P.S.C. in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the U.P. S.C. is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| No | 2 years. | 50% by promotion failing which by direct rectt.<br>50% by direct rectt. | Promotion :<br>Technical Assistants (Archaeology/Numismatics & Epigraphy/Sanskrit Manuscripts/Anthropology/Publication/Pre-History/Central Asian Antiquities) with 5 years' regular service in the respective grade. | Group 'B'<br>Departmental Promotion Committee.<br>1. Joint Secretary/Joint Educational Adviser, Deptt. of Culture —Chairman.<br>2. Director, National Museum—Member.<br>3. Deputy Secretary/ Deputy Educational Adviser, Deptt. of Culture—Member.<br>Note:—The Proceedings of the DPC relating to confirmation of direct recruits shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held. | The UPSC shall be consulted while making direct rectt. and amending/ relaxing any of the provisions of these rules. |

[No. F. 3-35/78-CAI(5)/CH-5]
H.S. JASSAL, Under Secy.

## निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर 1981

सा० का० नि० 39:—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्माण और आवास मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कतिपय समूह "ख" पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है अर्थात् .—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (मुख्य वास्तुविद सहायक) भर्ती नियम 1981 है

(2) ये तारीख 15-12-1979 को प्रवृत्त हुए समझे जाएगें ।

2. पद-संख्या वर्गीकरण और वेतनमान :-- उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमो से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं :-- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति आयु-सीमा अर्हताए और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हताए :-- वह व्यक्ति --

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति :-- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6 व्यावृत्ति :-- इन नियमो की कोई भी बात ऐसे आरक्षणो आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतो पर प्रभाव नही डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियो और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### व्याख्यात्मक ज्ञापन

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इससे पूर्व मुख्य वास्तुकीय सहायक का पद (उस समय इसका पदनाम मुख्य ड्राफ्टमैन था) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (केन्द्रीय कार्यालय) ड्राफ्टमैन भर्ती नियम 1962 से शासित था । इन नियमों का अधिक्रमण निर्माण और आवास मंत्रालय के दिनाक 15-11-79 के अधिसूचना संख्या 33/3/77 ई० सी० IX (1880 एस० एफ०/ई० डब्ल्यू०/79) के द्वारा किया गया था जो कि दिनांक 15-12-79 को भारत के राजपत्र में जी० एस० आर० संख्या 1505 के रूप मे प्रकाशित हुए थे । पूर्व नियम के अधिक्रमण और नये नियमों की घोषणा के बीच ताकि किसी प्रकार का कोई अन्तर न हो इसलिए यह आवश्यक हो गया कि इन नियमों की पूर्व व्यापी समय से लागू किया जाये और ऐसा करने से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के किसी भी व्यक्ति पर विपरीत प्रभाव नही पड़ेगा ।

### अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हतायें |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6क | 7 |
| मुख्य वास्तुविद सहायक | 1 (1981) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" अराज-पत्रित अलिपिकवर्गीय | 700-30-760-35-900 रुपये | चयन | लागू नहीं होता | लागू नही होता | लागू नहीं होता |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति/भर्ती संबंधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती किए जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नहीं होना | 2 वर्ष | प्रोन्नति द्वारा | प्रोन्नति<br>---<br>ऐसे वास्तुविद सहायक श्रेणी 1 जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 8 वर्ष सेवा की है और वह वास्तुविद अधिनियम 1972 के अधीन वास्तुविद परिषद् में वास्तुविद के रूप में रजिस्ट्रीकृत है । | विभिन्न प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे :—<br>(समूह "ख")<br>1 मुख्य वास्तुविद केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग —अध्यक्ष<br>2 निदेशक, प्रशासन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग —सदस्य<br>3. ज्येष्ठ वास्तुविद केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग —सदस्य<br>4. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का समुचित प्राधिकारी—सदस्य | इस पद के लिए चयन करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है । |

[सं० 33/3/77 ई० सी० IX]
एस० रंगनाथन, अवर सचिव

## MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 19th December, 1981

**G.S.R. 39.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, regulating the method of Recruitment of certain Group 'B' posts in the Central Public Works Department under the Ministry of Works and Housing, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Public Works Department (Chief Architectural Assistant) Recruitment Rules, 1981.

(2) They shall be deemed to have come into force on 15-12-1979.

2. Number, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

3. Method of Recruitment, age limit and other qualifications :—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage, and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the Provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of the age limits and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### EXPLANATORY MEMORANDUM

Earlier the post of Chief Architectural Assistant in the Central Public Works Department, (then designated as Chief Draftsman) was governed by the Central Public Works Department (Central Office) Draftsman Recruitment Rules, 1962. These rules were superseded vide Ministry of Works and Housing Notification No. 33|3|77-EC IX (1880|SF|EW|79) dated 15-11-79, published in the Gazette of India on 15-12-1979 as GSR No. 1505. In order that there should not be any gap between the supersession of the earlier rules and the promulgation of the new rules, it has become necessary to give these rules retrospective effect and giving of such retrospective effect will not affect any person adversely the Central Public Works Department.

SCHEDULE

| Name of the post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether Selection post or non-selection post | Age for direct recruits | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (Pension) Rules, 1972 | Educational qualifications for direct recruitment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (6a) | (7) |
| Chief Architectural Assistant. | 1* (1981) *"Subject to variation dependent on workload". | General Central Service Group B Non-gazetted Non-ministerial. | Rs. 700-30-760-35-900. | Selection. | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. |

| Whether age & educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees | Period of Probation | Method of recruitment i.e. whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by Promotion/ deputation/transfer, grade from which promotion/deputation/transfer to be made | If Departmental promotion Committee on exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making the recruitment |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable. | 2 years. | By promotion. | Promotion: Architectural Assistant Grade I with 8 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and registered as Architect under the Architects Act, 1972 with the Council of Architecture. | Departmental Promotion Committee (Group 'B') consisting of:— 1. Chief Architect, Central Public Works Department—Chairman. 2. Director of Administration, Central Public Works Department—Member. 3. Senior Architect, Central Public Works Department—Member. 4. An Officer of appropriate status belonging to Scheduled Caste Scheduled Tribe—Member. | Consultation with U.P.S.C. not necessary while making selection to this post. |

[No.33/3/77-EC.IX]

S. RANGANATHAN, Under Secy.

## पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1981

सा० का० नि० 40 .— संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा नागर विमानन विभाग (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती नियमावली, 1969* में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को नागर विमानन विभाग (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती (प्रथम संशोधन) नियमावली 1981 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. नागर विमानन विभाग (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती नियमावली, 1968 की अनुसूची में,

(1) खाना 6 और उसके शीर्षक के बाद, निम्नलिखित खाना संख्या और शीर्षक जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत सेवा के अतिरिक्त वर्षों का लाभ ग्राह्य होगा ।

(2) निदेशक, (अनुसंधान और विकास) के पद से सम्बन्धित क्रम संख्या 8 और उसके अन्तर्गत प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ।

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6क | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 निदेशक (अनुसंधान और विकास) | 1 | सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित | रु० 1800-2000 | लागू नहीं होता | 45 वर्ष से अधिक नहीं नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 50 वर्ष तक की छूट ) ध्यान दें :—आयु सीमा का निर्धारण करने के लिए भारत में उम्मीदवारों से (अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप को छोड़कर) आवेदनपत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख निर्णायक होगी । | | अनिवार्य : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वैमानिकी इंजीनियरी में कम से कम द्वितीय श्रेणी में डिग्री या समकक्ष योग्यता । (2) वैमानिकी अनुसंधान विकास अभिकल्प अथवा उड़ान योग्यता इंजीनियरी में 10 वर्ष का अनुभव । ध्यान दें : (1) यदि उम्मीदवार अन्यथा भली प्रकार से अर्हता प्राप्त है तो संघ लोक सेवा आयोग के स्वविवेक पर अर्हताओं में छूट दी जा सकती है । ध्यान दें (2) यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग यह समझे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन जातियों के निर्धारित अर्हता प्राप्त उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो आयोग स्वविवेक द्वारा इन जातियों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव सम्बन्धी अर्हता (ओं) में छूट दे सकता है । वांछनीय . उड़नयोग्यता इन्जीनियरी में अनुभव जिन्होंने अनिवार्य अर्हता (ii) प्राप्त नहीं की है ) |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| नहीं | 2 वर्ष | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (अल्पकालीन अनुबन्ध सहित) जिनके उपलब्ध न होने पर सीधी भर्ती द्वारा। | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण अल्पकालीन अनुबन्ध सहित)<br>(1) केन्द्र सरकार/ मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानो/ सार्वजनिक उपक्रमों/ अर्धसरकारी/स्थायत्त अथवा सांविधिक संगठनो के<br>(क) (i) समतुल्य पदो पर कार्यरत, अथवा<br>(ii) रू० 1500-1800 या समकक्ष वेतनमान वाले पदो पर 3 वर्ष की सेवा, और<br>(ख) खाना 7 में सीधी भर्ती वालो के लिए निर्धारित अर्हता प्राप्त अधिकारी।<br>(2) विभागीय उपनिदेशक (अनुसंधान और विकास) के ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा कर लेने वाले व्यक्ति पर विचार किया जाएगा और यदि वह इस पद पर नियुक्ति के लिए चुना जाता है तो इस पद को पदोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। (प्रतिनियुक्ति/अनुबन्ध की अवधि सामान्यतया 4 वर्ष से अधिक नही होगी) | 1 समूह "क" विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के लिए)<br>(1) अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष<br>(2) मंत्रालय के सचिव अथवा उनके द्वारा संयुक्त सचिव के स्तर का नामित व्यक्ति— सदस्य,<br>(3) महानिदेशक नागर विमानन—सदस्य<br>समूह "क" विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए)<br>(1) पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के सचिव—अध्यक्ष<br>(2) पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के संयुक्त सचिव—सदस्य<br>(3) महानिदेशक नागर विमानन—सदस्य<br>ध्यान दें पुष्टिकरण से संबंधित विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाई आयोग के पास अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी। यदि आयोग इसका अनुमोदन नहीं करता है तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या इसके सदस्य की अध्यक्षता मे विभागीय पदोन्नति समिति की एक नई बैठक बुलाई जाएगी। | प्रत्येक अवसर पर चयन संघ लोक सेवा आयोग की परामर्श से किया जाएगा। इन नियमों को संशोधित करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा। |

(iii) उपनिदेशक (अनुसंधान और विकास) के पद से संबंधित क्रम संख्या 15 और उसके अन्तर्गत प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6क | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. उपनिदेशक (अनुसंधान और विकास) | 1 | सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित | रू० 1500-1800 | चयन | 45 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियो के लिए 50 वर्ष तक की छूट)<br>नोट:- आयु सीमा का निर्धारण करने के लिए भारत में उम्मीदवारों से (अंडमान और निकोबार तथा | नहीं | अनिवार्य<br>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वैमानिकी इन्जीनियरी में कम से कम द्वितीय श्रेणी की डिग्री या समकक्ष योग्यता।<br>(ii) वैमानिकी अनुसंधान विकास, अभिकल्प या |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6क | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | लक्षद्वीप को छोड़कर) आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख निर्णायक तारीख होगी। | उड़नयोग्यता इंजीनियरी का 8 वर्ष का अनुभव<br>नोट 1 : यदि उम्मीदवार अन्यथा भली प्रकार से अर्हता प्राप्त है तो संघ लोक सेवा आयोग के स्वविवेक पर अर्हताओं में छूट दी जा सकती है।<br>नोट 2 : यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग यह समझे की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन जातियों के निर्धारित अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो आयोग स्वविवेक द्वारा इन जातियों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव सम्बन्धी अर्हता (ओं) में छूट दे सकता है।<br>वांछनीय : उड़नयोग्यता इंजीनियरों में अनुभव (जिन्होंने अनिवार्य अर्हता (ii) प्राप्त नहीं की है) |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| नहीं | 2 वर्ष | पदोन्नति द्वारा जिसके उपलब्ध न होने पर सीधी भर्ती द्वारा | पदोन्नति :<br>(जिन्होंने वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो)। | 1. समूह "क" विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के लिए)<br>(1) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष।<br>(2) मंत्रालय के सचिव अथवा उसके द्वारा संयुक्त सचिव/निदेशक/उपसचिव स्तर का नामित व्यक्ति —सदस्य<br>(3) महानिदेशक नागर विमानन— सदस्य<br>2 समूह "क" विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए)<br>(1) सचिव, पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय— अध्यक्ष<br>(2) संयुक्त सचिव, पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय —सदस्य | इन नियमों के किसी भी उपबन्ध में छूट देने/संशोधन करते समय और पदोन्नति, सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा। |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | (3) महानिदेशक नागर विमानन—सदस्य<br>नोट : पुष्टिकरण से संबंधित विभागीय पदोन्नति समिति की कार्रवाई आयोग के पास अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी । यदि आयोग इसका अनुमोदन नहीं करता है तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या इसके सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति की एक नई बैठक बुलाई जाएगी । |

(IV) वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद से सम्बन्धित क्रम संख्या 23 और उसके अन्तर्गत प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6क | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "23 | वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी | सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित | रु० 1100-1600 | चयन | 40 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 45 वर्ष तक की छूट)<br>नोट : आयु सीमा का निर्धारण करने के लिए भारत में उम्मीदवारों से (अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप को छोड़कर आवेदनपत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख निर्णायक होगी) । | नहीं | अनिवार्य :-<br>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वैमानिकी इंजीनियरी में कम से कम द्वितीय श्रेणी की डिग्री या समकक्ष योग्यता ।<br>(ii) वैमानिकी अनुसंधान विकास, अभिकल्प अथवा उड़नयोग्यता इंजीनियरी का 4 वर्ष का अनुभव ।<br>नोट 1 : यदि उम्मीदवार अन्यथा भली प्रकार से अर्हता प्राप्त है तो संघ लोक सेवा आयोग के स्वविवेक पर अर्हताओं में छूट दी जा सकती है ।<br>नोट 2 : यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग यह समझे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन जातियों के निर्धारित अर्हता प्राप्त उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो आयोग स्वविवेक द्वारा इन जातियों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव सम्बन्धी अर्हता (ओं) में छूट दे सकता है ।<br>वांछनीय : उड़नयोग्यता इंजीनियरी में अनुभव (जिन्होंने अनिवार्य अर्हता (ii) प्राप्त नहीं की है ।) |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| नहीं | 2 वर्ष | पदोन्नति द्वारा जिसके उपलब्ध न होने पर सीधी भर्ती द्वारा। | पदोन्नति<br><br>जिन्होंने वैज्ञानिक अधिकारी परियोजना अधिकारी के ग्रेड मे 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो।<br>नोट : इन नियमों के अन्तर्गत पदोन्नति के लिए जब किसी अधिकारी पर विचार किया जाएगा तो इस ग्रेड में उससे वरिष्ठ सभी अधिकारियो पर बिना इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने परिविक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, विचार किया जाएगा। | 1 समूह "क" विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए)<br><br>(1) अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष<br>(2) मंत्रालय के सचिव अथवा उनके द्वारा संयुक्त सचिव/ निदेशक/ उपसचिव स्तर का नामित व्यक्ति —सदस्य<br>(3) उपमहानिदेशक नागर विमानन-सदस्य<br>2 समूह "क" विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए),<br>(1) महानिदेशक नागर विमानन— अध्यक्ष<br>(2) उपसचिव/पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय— सदस्य<br>(3) उपमहानिदेशक नागर विमानन (संबंधित)— सदस्य।<br>(4) उपमहानिदेशक नागर विमानन (प्रशासन)— सदस्य।<br>नोट : पुष्टिकरण से संबंधित विभागीय पदोन्नति समिति की कार्रवाई आयोग के पास अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी। यदि आयोग इसका अनुमोदन नही करता है तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या इसके सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति की एक नई बैठक बुलाई जाएगी। | इन नियमों के किसी भी उपबंध में छूट देते/ संशोधन करते समय और पदोन्नति सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा। |

*नोट :— इन पदो के मूल भर्ती नियम भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) मे प्रकाशित दिनाक 16 जून, 1969 के सा० का० नि० 1556 द्वारा अधिसूचित किए गए थे।

[फा० सं० ए० 12018/12/78-ई० 1]
बी० जयचन्द्रन, अवर सचिव

## MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION

New Delhi, the 23rd December, 1981

**G.S.R. 40.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Civil Aviation Department (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment Rules 1969*, namely :—

1108 GI/81—6

1. (1) These rules may be called the Civil Aviation Department (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment (1st Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Civil Aviation Department (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1969,

(i) after column 6 and the heading thereto, the following column 6 number and heading shall be inserted, namely :—

| | |
|---|---|
| | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. |
| | 6a |

(ii) for serial number 7 relating to the post of Director (Research and Development) and the entries relating thereto the following serial number and entries shall be substituted namely :—

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 6(a) | 7. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "8. Director (Research and Development) | 1 | General Central Service Group 'A' Gazetted | Rs. 1800-2000. | Not Applicable | Not exceeding 45 years (Relaxable for Government Servants upto 50 years).<br>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). | No | Essential:<br>(i) At least 2nd Class degree in Aeronautical Engineering from a recognised University or equivalent.<br>(ii) 10 years' experience in aeronautical research, development, design or airworthiness Engineering.<br>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.<br>Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficien number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.<br>Desirable:<br>Experience in Airworthiness Engineering (for those not possessing Air Essential qualification (ii).) |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| No | 2 Years | By promotion/transfer on deputation (including short-term contract), failing which by direct recruitment | Promotion/Transfer on deputation (including short-term contract):<br>(1) Officers under the Central Government Recognised Research Institutions/Public Undertakings/Semi-Government, Autonomous or Statutory Organisations.<br>(a) (i) holding analogous posts; or<br>(ii) with 3 years' service in posts in the scale of Rs. 1500-1800 or equivalent; and<br>(b) Possessing the essential qualifications prescribed for direct recruits under column 7. | Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion):<br>(1) Chairman/Member, Union Public Service Commission — Chairman.<br>(2) Secretary of the Ministry or his nominee of Joint Secretary's status of — Member.<br>(3) Director General of Civil Aviation — Member. | Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission. The Union Public Service Commission will also be consulted while amending/relaxing any of the provisions of these rules." |

| 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|
| (2) The Departmental Deputy Director (Research and Development) with 3 years' service in the grade will also be considered and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.<br>(Period of deputation/contract shall ordinarily not to exceed 4 years) | Group 'A' Depatmental Promotion Committee (for considering confirmation) :<br>(1) Secretary Ministry of Tourism and Civil Aviation—Chairman.<br>(2) Joint Secretary, Ministry of Tourism and Civil Aviation—Member.<br>(3) Director General of Civil Abiation—Member.<br>Note: The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Union Public Service Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held. | |

(iii) for serial number 15 relating to the post of Deputy Director (Research and Development) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6a | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | Deputy Director (Research and Development). | 1 | General Central Service Group 'A' Gazetted. | Rs. 1500-1800. | Selection. | Not exceeding 45 years' (Relaxable for Government servants upto 50 years).<br>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). | No | Essential:<br>(i) Atleast Second Class Degree in Aeronautical Engineering from a recognised University or equivalent.<br>(ii) 8 Years' experience in aeronautical research, development, design or Airworthiness Engineering.<br>Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.<br>Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribed, If, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidate from these communities posses |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them<br>Desirable<br>Experience in Airworthiness Engineering (for those not possessing Essential qualification (ii)) | |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| No | 2 years. | By promotion failing which by direct recruitment. | Promotion.<br>Senior Scientific Officer with 5 years' regular service in the grade. | Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion)<br>(1) Chairman /Member, Union Public service Commission—Chairman<br>(2) Secretary of the Ministry or his nominee of status of Jt. Secretary/-Director /Dy Seretary—Member<br>(3) Director General of Civil Aviation—Member<br>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation)<br>(1) Secretary, Ministry of Tourism and Civil Aviation—Chairman<br>(2) Joint Secretary, Ministry of Tourism and Civil Aviation—Member.<br>(3) Director General of Civil Aviation—Member. | The Union Public Service Commission shall be consulted while making promotion, direct recruitment and amending/ relaxing any of the provisions of these rules" |

Note The Proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held

(iv) for serial number 23 relating to the post of Senior Scientific Officer and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely.—

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6a | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "23 | Senior Scientific Officer. | General Central Service Group 'A' Gazetted | Rs 1100-1600 | Selection | Not exceeding 40 years (Relaxable for Government servants upto 45 years)<br>Note The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates | No | Essential<br>(i) Atleast Second Class degree in Acronautical Engineering from a recognised University or equivalent<br>(ii) 4 years experience. in Aeronautical research, development, design or Airworthiness Engineering.<br>Note 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Laksha-dweep). | | Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.<br>Desirable:<br>Experience in Airworthiness Engineering (for those not possessing essential qualification (ii).) |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| No | 2 Years. | By promotion failing which by direct recruitment. | Promotion:<br>Scientific Officer/Project Officer with 5 years regular service in the respective grade.<br>Note: Where an officer is considered for promotion under these rules, all persons senior to him in that grade shall also be considered not withstanding that they may not have rendered prescribed length of service in the grade provided that they should have successfully completed their period of probation. | Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion).<br>(1) Chairman/Member Union Public Service Commission—Chairman.<br>(2) Secretary of the Ministry or his nominee of status of Jt. Secretary/Director/Deputy Secretary—Member.<br>(3) Deputy Director General of Civil Aviation—Member.<br>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):<br>(1) Director General of Civil Aviation—Chairman.<br>(2) Deputy Secretary in the Ministry of Tourism and Civil Aviation—Member.<br>(3) Deputy Director General of Civil Aviation (concerned)—Member.<br>(4) Deputy Director General of Civil Aviation (Administration)—Member. | Selection in each Occasion shall be made in consultation with Union Public Service Commission. the Union Public Service Commission shall also be consulted while amending / relaxing any of the provisions of these rules. |

Note : The Proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the commission for aprpproval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held

*Note: The Principal recruitment rules for the posts were published in the Gazette of India, vide Notification No. G.S.R 1556, Part II, Section 3, Sub-Section(i) dated the 16th June, 1969.

[F.No.A.12018/12/76-E.I/VE/SFS]
V. JAYACHANDRAN, Under Secty.

## संचार मंत्रालय

### बेतार आयोजना और समन्वय स्कन्ध

### शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1981

**सा० का० नि० 41** —भारत के राजपत्र के भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा० का० नि० 1022 के अधीन दिनांक 14-11-1981 के पृष्ठ 2430-31 पर, प्रकाशित संचार मंत्रालय (बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कन्ध) की दिनांक 21-10-1981 की अधिसूचना संख्या आर० 11014/7/79-एल० आर० में नीचे लिखी शुद्धियां की जाये —

| पृष्ठ संख्या | पंक्ति | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|---|
| 2430 | 1 | बेतार | बेतार |
| 2430 | 22 | चालक | प्रचालक |
| 2431 | 10–11 | विशेष रेडियो तार प्रचालक प्रमाण पत्र 20.00 रु० और अनुज्ञप्ति भाग 2 और/या भाग 3 | विशेष रेडियो तार प्रचालक प्रमाण पत्र और अनुज्ञप्ति भाग 2 और/या भाग 3 ....20.00 रु० |
| 2431 | 36 | कार्यबाई | कार्रवाई |
| 2431 | 36 | युक्तियुक्ति | युक्तियुक्त |
| 2431 | 40 | 10 | 10क- |
| 2431 | 42 | की | की |

[आर० 11014 (7)/80-एल० आर०]

एस० नलिन रंजन, सहायक बेतार सलाहकार

## MINISTRY OF COMMUNICATIONS

### (W.P.C. Wing)

### CORRIGENDUM

New Delhi, the 9th December, 1981

G.S.R 41.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Communications, (WPC Wing), G S.R. 1022 (R-11014/7/79-LR dated 21st October, 1981), published at pages 2431 -32 of Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (i) dated November 14, 1981 the following correction may be carried out :—

| Page No. | Line | Incorrect | Correct |
|---|---|---|---|
| 2431 | 4 | excercise | exercise |
| 2431 | 4 | owers | powers |
| 2431 | 31 | affect | effect |
| 2431 | 32 | pat | part |
| 2432 | 16 | No.R-11014 (7)/80-IR | No. R-11014(7)/ 80-LR |

[R-11014(7)/80-LR]

S. NALINA RANJAN, Assistant Wireless Adviser

## श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1981

**सा० का० नि० 42** —केन्द्रीय सरकार बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 (1976 का 62) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि नियम, 1978 का कतिपय और संशोधन करना चाहती है । जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित है, प्रस्तावित संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है । इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के अवसान पर या उस के पश्चात् विचार किया जायेगा ।

उपरोक्त अवधि के अवसान पर या उसके पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी ।

### प्रारूप नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 1981 है ।

2. बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि नियम, 1978 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है )—

(1) उद्देशिका के अंतिम पैरा में "उक्त अधिनियम" शब्दों के स्थान पर "बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976" शब्द और अंक रखे जायेंगे ;

(2) नियम 3 में—

(क) उपनियम (1) के खण्ड (क) में उपखण्ड (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्—

(i) "श्रम मंत्री/श्रम मंत्रालय का राज्य मंत्री या उपश्रम मंत्री ——अध्यक्ष

(ii) महानिदेशक (श्रम कल्याण) या ऐसा कोई अन्य अधिकारी जो श्रम मंत्रालय के संयुक्त सचिव से अन्यून रैंक का नहीं हो, पदेन उपाध्यक्ष होगा;"

(ख) उपनियम (2) के खंड (क) में उपखंड (vii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् —

"(vii) एक महिला, यदि उपखंड (v) और उपखंड (vi) के अधीन कोई महिला नियुक्त न की गई हो ;"

(3) नियम 4 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात —

"(3) यदि कोई सदस्य केन्द्रीय सलाहकार समिति या सलाहकार समिति के किसी अधिवेशन में उपस्थित रहने में असमर्थ रहता है तो नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (क) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उस नियम के उपनियम (2) के खंड (क) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) के अधीन नियुक्त सदस्य की दशा में केन्द्रीय सरकार, उस निकाय से जिसका कि वह यथास्थिति केन्द्रीय सलाहकार समिति या सलाहकार समिति में प्रतिनिधित्व करता है, परामर्श करने के पश्चात् किसी सदस्य को अधिवेशन में उसके स्थान पर उपस्थित होने के लिये प्रतिनियुक्त कर सकता है, और अन्य दशाओं में एक प्रतिस्थापी को अधिवेशन में उसके स्थान पर उपस्थित होने के लिये नाम निर्देशित कर सकेगी और इस प्रकार प्रतिनियुक्त या नामनिर्देशित सदस्य को उस अधिवेशन की बाबत सदस्य के सभी अधिकार होंगे ।"

(4) नियम 6 के उपनियम (2) का लोप किया जायेगा और नियम 6 के उपनियम (1) को नियम 6 के रूप में पढ़ा जायेगा ।

(5) नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्

"10. अधिवेशनों का समय, स्थान और तारीख सलाहकार समिति या केन्द्रीय सलाहकार समिति का अधिवेशन वर्ष में कम से कम एक बार ऐसे स्थानों, ऐसी तारीखों और समय पर होगा जो अध्यक्ष द्वारा नियत किया जाए ।"

(6) नियम 11 के उपनियम (2) "आपात" शब्द के स्थान पर जहां कहीं वह आता है "अति-आवश्यक" शब्द रखा जाएगा.

(7) नियम 17 के उपनियम (2) का लोप किया जायेगा और नियम 17 के उपनियम (1) को नियम 17 के रूप में पढ़ा जायेगा,

(8) नियम 28 के उपनियम (1) के खंड (ठ) में "समान" शब्द के स्थान पर "वही शब्द रखा जायेगा ,

(9) उक्त नियम की अनुसूची 1 में—

"(क) यात्रा भत्ता" शीर्षक के अधीन उपशीर्षक

"(1) रेल से यात्रा" में पैरा (क) (ख), और (ग) का लोप किया जायेगा,

(10) अनुसूची 1 के पैरा (4) के उपपैरा (ii) का लोप किया जायेगा

(11) अनुसूची 1 के पैरा (4) के उपपैरा (iii) को उप पैरा (ii) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा ;

(12) अनुसूची 2 के पैरा 1 के उपपैरा 1 के शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जायेगा अर्थात्:—

"1000 या उसके कम कर्मकार के लिये प्रबन्ध करने वाला औषधालय—चार कक्षों का उपयोग निम्नलिखित रूप में किया जायेगा",

(13) अनुसूची 2 के पैरा 1 के उपपैरा 1 में मद (iii) के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ी जायेगी, अर्थात:—

"(ii) लघु शल्यकर्म कक्ष (5 मीटर × 4 मीटर)";

(14) अनुसूची 3 के पैरा 2 के पैरा 1 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात्:—

| | |
|---|---|
| "(1) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी (महिला)— | 1 |
| (2) नर्स | 1 |
| (3) स्वास्थ्य सहायक (महिला) | 2 |
| (4) कम्पाउन्डर | 1 |
| (5) लाइकश (महिला) | 2 |

(15) अनुसूची 3 में "2 कर्मचारिवृन्द" शीर्षक के अधीन पैरा 2" और 3 की मद (3) की प्रविष्टि "महिला स्वास्थ्यकर" के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी अर्थात्—

"स्वास्थ्य सहायक (महिला)",

(16) उक्त नियमों से उपाबद्ध अनुसूची 5 के प्रारूप-ख में क्रम सं० 12 की विद्यमान प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा और विद्यमान क्रम सं० 13 को क्रम सं० 12 के रूप में पढ़ा जायेगा ।

[सं० एस० 23011/1/80-एम डी]

जगदीश प्रसाद, अवर सचिव

## MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 21st December, 1981

**G.S.R. 42.**—The following draft of certain rules further to amend the Beedi Workers Welfare Fund Rules 1978 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 12 of the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 (62 of 1976), is hereby published as required by sub-section (1) of section 12 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of ninety days from the date of publication of this notification in the Gazette of India.

2. Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft on or before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government.

### DRAFT RULES

1. These rules may be called the Beedi Workers Welfare Fund (Amendment) Rules, 1981.

2. In the Beedi Workers Welfare Fund Rules, 1978 (hereinafter referred to as the said rules);

(1) in the preamble, in the last paragraph, for the words "the said Act" the words "The Beedi Workers Welfare Fun Act, 1976" shall be substituted ;

(2) In rule 3,—

(a) in sub-rule (1), in clause (a) for sub-clauses (i) and (ii) the following shall be substituted namely :—

"(i) The Labour Minister, Minister of State in the Ministry of Labour or the Deputy Labour Minister—Chairman;

(ii) The Director General (Labour Welfare) or any other officer of a rank not lower than Joint Secretary in the Ministry of Labour shall be the Vice-Chairman, ex-officio;

(b) in sub-rule (2), in clause (a), for sub-clause (vii) the following shall be substituted namely :—

"(vii) a woman, if no woman has been appointed under sub-clause (v) or sub-clause (vi)",

(3) in rule 4, for sub-rule (3), the following shall be substituted namely :—

"(3) If a member is unable to attend a meeting of the Central Advisory Committee or the Advisory Committee, then, in the case of a member appointed under sub-clause (iv) or sub-clause (v) of clause (a) of sub-rule (1) of rule 3 or under sub-clause (v) or sub-clause (vi), of clause (a) of sub-rule (2) of that rule, the Central Government may, in consultation with the body which is represented by him in the Central Advisory Committee or the Advisory Committee, as the case may be, depute a member in his place to attend the meeting and in other cases may nominate a substitute in his place to attend the meeting and such deputed or nominated member shall have all rights of a member in respect of that meeting".

(4) Sub-Rule (2) of rule 6 shall be omitted and sub-rule (1) of rule 6 shall be read as rule 6;

(5) for rule 10, following shall be substituted namely :—

"10. Time, place and date of meetings

An Advisory Committee or the Central Advisory Committee shall meet at least once a year at such places and on such dates and at such time as may be appointed by the Chairman".

(6) in rule 11, in sub-rule (2), for the word 'emergency' wherever it occurs, the word 'urgent' shall be substituted;

(7) in rule 17, sub-rule (2) shall be omitted and sub-rule (1) of rule 17 shall be read as rule 17;

(8) in rule 28, in sub-rule (1), in clause (g), for the word 'similar', the word 'same' shall be substituted;

(9) In Schedule I to the said rules, under the heading

"(a) Travelling Allowance" under the sub-heading

"(1) Journey by Rail" paragraphs (a), (b) and (c) shall be omitted;

(10) Sub-paragraph (ii) of paragraph (4) of Schedule I shall be omitted;

(11) Sub-paragraph (iii) of paragraph (4) of Schedule I shall be renumbered as sub-paragraph (ii);

(12) For the heading of sub-paragraph 1 of paragraph I of Schedule II, the following heading shall be substituted namely :

'Dispensary catering for 1000 workers or less—Four rooms to be used as follows;"

(13) The following item shall be added in sub-paragraph 1 of Paragraph I of Schedule II after item (iii) namely :—

"(iv) Minor operation room... (5 metres × 4 metres)";

(14) In Schedule III, under paragraph II, starting with the heading 'II-Staff' in paragraph 1, for the existing entries, the following entries shall be substituted namely :—

| | |
|---|---|
| "(i) Registered Medical Practitioner (Lady) | 1 |
| (ii) Nurse | 1 |
| (iii) Health Assistant (Female) | 2 |

| | |
|---|---|
| (iv) Compounder | 1 |
| (v) Sweepers (female) | 2" |

(15) in Schedule III, under the heading 'II-Staff', in paragraphs 2 and 3 for the entry 'Lady Health Visitor' appearing in items (iii) thereof, the entry—

"Health Assistant (Female)" shall be substituted;

(16) in Form-B to Schedule V appended to the said rules, the existing entries under Serial No. 12 shall be omitted and the existing Serial No. 13 shall be read as Serial No. 12.

[No. S/23011/1/80-M.V]

JAGDISH PRASAD, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982